


प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

कमांक 655 / 528 / 2018 / 17 / मेडि-1 भोपाल, दिनांक 8/3/2018
प्रति,

आयुक्त,
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
म.प्र. भोपाल।



विषय:-चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरांत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत करने की गणना में तदर्थ सेवा अवधि को सम्मिलित करने बावत्।

—00—

विषयांतर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन से प्राप्त ज्ञापन के संदर्भ में वित्त विभाग से प्राप्त अभिमत निम्नानुसार है:-

"वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.11.2009 के बिन्दु क. 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार तदर्थ रूप से की गई सेवा को समयमान वेतनमान हेतु गणना में नहीं लिया जाना है।"

अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त अभिमत अनुसार चिकित्सा संवर्ग के अधिकारियों को वेतनमान स्वीकृत करने की कार्यवाही करें।

AN
(अन्य नथानियल)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ० कमांक 656 / 528 / 2018 / 17 / मेडि-1

भोपाल, दिनांक 8/3/2018

प्रतिलिपि:-

प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन वित्त विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

21.3.18
A

12-3-18

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 631]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 नवम्बर 2017—अग्रहायण 3, शक 1939

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2017

क्र. एफ. 01-01/2017/सत्रह/मेडि-1 :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 308 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में तदर्थ/आपात नियुक्तियों के नियमितिकरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

नियम

1/- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तदर्थ/आपात नियुक्तियों का नियमितिकरण नियम-2017 है।

(2) यह नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2/- अध्यारोही प्रभाव-यह नियम विषय में तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरित बात के होते हुये भी प्रभावी होंगे।

3/- परिभाषाएँ- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" -से अभिप्रेत है ऐसे पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी।

(ख) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न अनुसूची।

4/- लागू होना:- यह नियम अनुसूची में वर्णित पदों पर वर्ष 1997 से पूर्व की गई तदर्थ/आपात नियुक्तियों के नियमितिकरण नियम के लिये लागू होंगे।

5/- नियमितिकरण के लिये पात्रता:- ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची में वर्णित पद पर तथा विभाग में तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त किया गया है नियमितिकरण के लिये पात्र होगा यदि-

उसके संबंध में 31 दिसंबर 1997 तक नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके थे, किन्तु जो अपेक्षित अर्हता न रखने के कारण या किसी अन्य कारण से नियमित नहीं किये जा सके थे।

6/- (1) वह "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) दिनांक 30 अप्रैल 1988 में प्रकाशित किये गए मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1988 के अनुसार सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये अपेक्षित अर्हता अर्जित कर चुका हो।

(2) विभाग में तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त वही व्यक्ति नियमितिकरण हेतु पात्र होगा जो 31 दिसंबर 1997 के पूर्व से नियुक्त होकर वर्तमान में निरंतर सेवा में हैं/सेवारत रहे हैं।

7/- चयन सूची:-

(1) अनुसूची में वर्णित पदों पर तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त चिकित्सकों के मामलों की छानबीन करने के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार चयन सूची तैयार की जायेगी-

(2) मामलों की छानबीन करते समय संबंधित व्यक्ति की सामान्य उपयुक्तता का निर्धारण उनके गोपनीय रिकार्ड यदि कोई हो और उनके आचरण के आधार पर किया जायेगा।

(3) नियम 5 एवं 6 में वर्णित अर्हता अर्जित किये जाने के आधार पर चयन सूची के नाम सम्मिलित किये जायेगे।

8/- ज्येष्ठता:-

(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया चिकित्सक तदर्थ नियुक्तियों का नियमितिकरण नियम प्रभावशील होने के दिनांक 05 जुन 1986 अथवा तदर्थ/आपात रूप से नियुक्ति उपरांत उपस्थिति की तिथि से ज्येष्ठता का हकदार होगा। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पूर्व ऐसे व्यक्ति को सुसंगत भर्ती नियमों के अनुसार पूर्व से नियुक्त किये गए व्यक्तियों को नीचे रखा जायेगा।

(2) यदि विभिन्न आदेशों द्वारा नियुक्त दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथी को अपेक्षित अर्हता प्राप्त करते हैं तो उनकी ज्येष्ठता का अवधारण विखण्डित अवधि को छोड़कर उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर किया जावेगा।

(3) यदि एक ही आदेश द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथी से नियमित किये जाते हैं तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण तदर्थ/आपात नियुक्ति के आदेश में वर्णित क्रम में किया जावेगा।

9/- नियुक्तियों का क्रम:- नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची में से नियमित नियुक्तियों उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में उनके नाम छानबीन समिति द्वारा सूची में आये हो।

10/- आरक्षण:-

(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 के उपबंधों का तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों/नियमों का इन नियमों के अधीन नियमितिकरण करते समय पालन किया जायेगा।

11/- नियमितिकरण भर्ती नियमों के अधीन नियुक्ति मानी जायेगी:-छानबीन उपरांत तैयार की गई सूची को तथा ऐसी चयन सूची से किये गए नियमितिकरण को सुसंगत भर्ती नियमों के अधीन तैयार की गई चयन सूची तथा की गई नियुक्तियों माना जायेगा।

12/- छूट:- इन नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिस पर यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को न्यायसंगत तथा समस्यापूर्ण प्रतीत होती है।

13/- यह नियम तदर्थ एवं आपात रूप से नियुक्त चिकित्सकों को नियमितिकरण की कार्यवाही हेतु केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकेगा। उसके पश्चात यह नियम प्रभावहीन हो जाएंगे।

अनुसूची (नियम 4 देखिए)

वह पद जिन पर तदर्थ/आपात रूप से नियुक्त व्यक्तियों को नियमित किया जा सकेगा :-

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	पद का नाम
1	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सहायक सर्जन/चिकित्सा अधिकारी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च 2016—फाल्गुन 14, शक 1937

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2016

क्र. एफ-3-1-2014-सत्रह-मेडि-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन और चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

**"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)**

**वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या
समूह "क" चिकित्सा**

क.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	05	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 10000	
2	अपर संचालक संवर्ग - क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (07 पद)/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् (01 पद)/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ (01 पद),	09	-तदैव-	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900	
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल	01	-तदैव-	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700	
4	संयुक्त संचालक संवर्ग # -				इस संवर्ग में कुल 130 पद होंगे।
	(अ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	73	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रत्येक जिले हेतु 01 पद (कुल 51 पद), संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर (01 पद)/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (03 पद) एवं संचालनालय/संभागीय कार्यालय हेतु संयुक्त संचालक के 18 पद, (कुल 73 पद)
	(ब) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	57	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं संचालनालय/संभागीय कार्यालय हेतु संयुक्त संचालक के 06 पद, (कुल 57 पद)

5	कृष्ट अधिकारी ग्रेड-1	07	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	
6	जिला टीकाकरण अधिकारी	51	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	
7	जिला स्वास्थ्य अधिकारी 51/जिला परिवार कल्याण अधिकारी 48/प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी 313/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी 20	432	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	पूर्व में स्वीकृत सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (मुख्यालय 06) के 6 पद समर्पित
8	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (07)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01)	08	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	
9	विशेषज्ञ (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 5 प्रतिशत)	3160	-तदैव- -तदैव- -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900	(1) छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्ववत् आपात् कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संचालक के पद भी सम्मिलित हैं।
10	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 5 प्रतिशत)	51	-तदैव- -तदैव- -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8900	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्ववत् आपात् कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
11	कृष्ट अधिकारी ग्रेड-2	12	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	

12	उप संचालक	44	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600	संचालनालय में उप संचालक के 20 पद मुख्यालय, प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 03 पद के मान से कुल 21 पद तथा जबलपुर, इन्दौर व ग्वालियर संभागीय कार्यालयों में न्यायालयीन कार्यों हेतु एक- एक अतिरिक्त पद (कुल 44 पद). इन पदों की पूर्ति ऊपर लिखित सरल क्रमांक 5 से 11 पर अंकित पदों पर कार्यरत अधिकारियों से की जाएगी।
13	चिकित्सा अधिकारी (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 2 प्रतिशत)	4838	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।
14	दंत शल्य चिकित्सक (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 2 प्रतिशत)	159	द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी -तदैव- -तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600 पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600 पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे। वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

टिप्पण - # (1) इस संशोधन के पूर्व से संयुक्त संचालक के पद पर विद्यमान अधिकारियों के पदोन्नत/सेवानिवृत्त होने से रिक्त पदों की पूर्ति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक से की जाएगी।

(2) संयुक्त संचालक पदनाम से संचालनालय में 10 पद एवं प्रत्येक संभागीय कार्यालय में 2 पद के मान से 14 पद, इस प्रकार कुल 24 पद होंगे।

समूह "ख" -- गैर चिकित्सीय

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जनसांख्यिकी)	2	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन) / उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)	3	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
6	कीट विज्ञानी	5	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
7	मुख्य अभियंता (सिविल)	1	-तदैव-	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
9	सांख्यिकी अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
10	वित्त अधिकारी / लेखा अधिकारी / भण्डार अधिकारी	3	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
11	प्रशासकीय अधिकारी	118	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
12	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01 / संभागीय कार्यालय 07)	8	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
13	कोल्ड चैन अधिकारी	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
14	जिला मलेरिया अधिकारी (52) / जीव शास्त्री (3) / सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया) (1)	56	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
15	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी / प्रदर्शनी अधिकारी / संचार अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी / स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक / समाज विज्ञान अनुदेशक	52	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
16	प्रचार अधिकारी / संपादक	1	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
17	सहायक यंत्री (परिवहन) / सहायक यंत्री (भण्डार)	2	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
18	समाज विज्ञानी	1	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
19	प्रबंध अनुदेशक	3	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
20	सहायक यंत्री (सिविल) (1 पद संचालनालय के लिये / 7 पद प्रत्येक संभागीय कार्यालय के लिये एक-एक पद)	8	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
21	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरापिस्ट)	10	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
22	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी	76	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 3600
23	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 3600
24	वरिष्ठ निज सहायक	4	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
25	महाप्रबंधक (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें स्तर पर)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-4 (37400-67000)+ ग्रेड पे 8700

26	प्रबंधक (500 बिस्तर अथवा अधिक क्षमता वाले प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिये 01 पद)	4	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 7600
27	उप प्रबंधक, जिला चिकित्सालय (300 बिस्तर अथवा अधिक क्षमता वाले तथा 500 बिस्तर से कम प्रत्येक जिला चिकित्सालय के लिये 01 पद)	28	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
28	सहायक प्रबंधक (प्रत्येक जिला चिकित्सालय हेतु 01 पद (कुल 51 पद) एवं सिविल अस्पताल (न्यूनतम 100 बिस्तर) प्रत्येक के लिये 01 पद (कुल पद 31))	82	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400

समूह "ग" - परिचर्या सेवाएं

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (परिचर्या)	1	प्रथम श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	1	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 6600
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (19) / जिला लोक स्वास्थ्य नर्स (51+7) / लोक स्वास्थ्य परिचर्या अनुदेशक (3)/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक (2)	82	द्वितीय श्रेणी	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01)/ प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	13	-तदैव-	पी.बी.-3 (15600-39100)+ ग्रेड पे 5400
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण केन्द्र (21)/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (2)/उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (11)	35	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200
6	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-2	43	-तदैव-	पी.बी.-2 (9300-34800)+ ग्रेड पे 4200

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भरती का तरीका
समूह "क" चिकित्सा

अनु.क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	05	—	100 %	—	—
2	अपर संचालक संवर्ग — क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (07 पद)/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् (01 पद)/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ (01 पद),	—तदैव—	09	—	100 %	—	—
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल	—तदैव—	01	—	100 %	—	—
4	संयुक्त संचालक संवर्ग — (अ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/ प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (ब) सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	—तदैव— —तदैव—	73 57	— —	100 % 100 %	— —	—
5	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	—तदैव—	07	—	100 %	—	—
6	जिला टीकाकरण अधिकारी	—तदैव—	51	—	100 %	—	—
7	जिला स्वास्थ्य अधिकारी 51/ जिला परिवार कल्याण अधिकारी 48/प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी 313/ जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी 20	—तदैव—	432	—	100 %	—	—
8	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय (07)/ संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01)	—तदैव—	08	—	100 %	—	—
9	विशेषज्ञ	—तदैव—	3160	—	100 %	—	—
10	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	—तदैव—	51	—	100 %	—	—

11	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	--तदैव--	12	--	100 %	--	--
12	उप संचालक	--तदैव--	44	--	--	100 %	इन पदों की पूर्ति ऊपर लिखित सरल क्रमांक 5 से 11 पर अंकित पदों पर कार्यरत अधिकारियों से की जाएगी।
13	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	4838	100 %	--	--	--
14	दंत शल्य चिकित्सक	--तदैव--	159	100 %	--	--	--

समूह "ख" - गैर-चिकित्सीय

अनु.क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम-6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम-6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम-6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	1	---	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो यह पद जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
2	संयुक्त संचालक (योजना तथा प्रबंधन)	--तदैव--	1	---	100 %	--	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो यह पद वित्त विभाग (कोष एवं लेखा संचालनालय) से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	--तदैव--	1	---	100 %	--	--
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जनसांख्यिकी)	--तदैव--	2	---	100 %	--	--
5	उप संचालक (स्थापना एवं	--तदैव--	3	---	100 %	--	--

4	प्रशासन) / उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य)						
6	कीट विज्ञानी	-तदैव-	5	---	100 %	—	—
7	मुख्य अभियंता (सिविल)	-तदैव-	1	---	—	100 %	लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे।
8	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	-तदैव-	1	—	100 %	—	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
9	सांख्यिकी अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—द्वितीय श्रेणी	7	25 %	75 %	—	—
10	वित्त अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	-तदैव-	3	--	100 %	—	—
11	प्रशासकीय अधिकारी	-तदैव-	118	25 %	75 %	—	—
12	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01/ संभागीय कार्यालय 07)	-तदैव-	8	---	—	100 %	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों से,
13	कोल्ड चेन अधिकारी	-तदैव-	1	100 %	—	—	—
14	जिला मलेरिया अधिकारी (52)/ जीव शास्त्री (3)/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया) (1)	-तदैव-	56	25 %	75 %	—	—
15	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक / समाज विज्ञान अनुदेशक	-तदैव-	52	20 %	80 %	—	—
16	प्रचार अधिकारी/संपादक	-तदैव-	1	---	100 %	—	—
17	सहायक यंत्री (परिवहन) / सहायक यंत्री (भण्डार)	-तदैव-	2	---	100 %	—	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

							के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
18	समाज विज्ञानी	-तदैव-	1	---	100 %	—	—
19	प्रबंध अनुदेशक	-तदैव-	3	100 %	—	—	—
20	सहायक यंत्री (सिविल)	-तदैव-	8	---	100 %	—	यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब पद लोक निर्माण विभाग या ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है,
21	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरापिस्ट)	-तदैव-	10	---	100 %	—	प्रत्येक जिला चिकित्सालय (400 बिस्तर अथवा उससे अधिक क्षमता) के लिये 01 पद
22	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी	-तदैव-	76	---	100 %	—	—
23	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	-तदैव-	1	---	100 %	—	—
24	वरिष्ठ निज सहायक	-तदैव-	4	---	100 %	—	—
25	महाप्रबंधक	प्रथम श्रेणी	1	---	100 %	—	—
26	प्रबंधक	-तदैव-	4	---	100 %	—	—
27	उप प्रबंधक	-तदैव-	28	—	75 %	25 %	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिन्हें वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जा चुका हो तथा लोक स्वास्थ्य और प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन / प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि / पत्रोपाधि धारित करते हों, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
28	सहायक प्रबंधक	द्वितीय श्रेणी	82	75 %	—	25 %	ऐसे चिकित्सा अधिकारी जो लोक स्वास्थ्य और प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि / पत्रोपाधि धारित करते हों, प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु. क.	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम- 6(1)(क) देखिये]	पदोन्नति द्वारा [नियम- 6(1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा [नियम- 6(1)(ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (परिचर्या)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-प्रथम श्रेणी	01	---	100 %	—	—
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	—तदैव—	01	---	100 %	—	—
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी (19) / जिला लोक स्वास्थ्य नर्स (51+7) / लोक स्वास्थ्य परिचर्या अनुदेशक (3) / लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक (2)	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं-द्वितीय श्रेणी	82	25 %	75 %	—	—
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर (01) / प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (12)	—तदैव—	13	---	100 %	—	—
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र (1)/ प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण केन्द्र (21)/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (2)/उप प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र (11)	—तदैव—	35	---	100 %	—	—
6	परिचर्या, अधीक्षक ग्रेड-दो	—तदैव—	43	---	100 %	—	—

**अनुसूची --तीन
(नियम 8 देखिए)**

**सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता
समूह "क" चिकित्सा**

अनु. क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता,	
2.	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	40 वर्ष	बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई समतुल्य उपाधि,	

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु. क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.ए. (सांख्यिकी), पी.एच.डी. की अधिमान्यता/स्वास्थ्य सांख्यिकी में डिप्लोमा सहित,	
2.	प्रशासकीय अधिकारी	25 वर्ष	40 वर्ष	पांच वर्ष के पर्यवेक्षी अनुभव सहित स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षण (एस.ए. एस.) में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा,	
3.	कोल्ड चैन अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	मेकेनिकल अथवा रेफीजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि एक वर्ष का कार्यानुभव सहित अथवा प्रशीतन यांत्रिकी में, उपस्कर के अनुरक्षण तथा प्रशीतन प्रचालन में डिप्लोमा	
4.	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	21 वर्ष	40 वर्ष	एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र), एम.एस.सी. (प्राणी शास्त्र) के साथ कीट विज्ञान को अधिमान दिया जायेगा,	
5.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक /समाज विज्ञान अनुदेशक	21 वर्ष	40 वर्ष	स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अधिमानता के साथ समाज शास्त्र में एम.ए./भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा	
6.	प्रबंधन अनुदेशक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि, अध्यापन तथा पर्यवेक्षी, कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा,	
7.	सहायक प्रबंधक	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक स्वास्थ्य प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रबंधन/प्रशासन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि,	—

समूह "ग" परिचर्या सेवार्ये

अनु- क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक	28 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. (परिचर्या) अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रमाण पत्र परिचर्या सेवा में का दस वर्ष का अनुभव,	

अनुसूची-चार

(नियम 13 तथा देखिए)

पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

समूह "क" चिकित्सा

अनु- क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हों, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ	संचालक	तीन वर्ष	1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत शासन का प्रमुख सचिव - सदस्य 3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव / सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 4. अपर सचिव/ उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक / संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर / प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये / संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् / अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य - अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवार्ये - सदस्य

3	जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी / अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल / जिला टीकाकरण अधिकारी / कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर / प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (25 प्रतिशत पद विशेषज्ञ की पदोन्नति से, शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमिक 3 के कॉलम (2) में दर्शित अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से)	पाँच वर्ष	-तदैव-
4	विशेषज्ञ	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	5 वर्ष	-तदैव-
5	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	कुष्ठ कार्य में 6 वर्ष का अनुभव	-तदैव-
6	चिकित्सा अधिकारी	जिला टीकाकरण अधिकारी	शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि के उपरांत पांच वर्ष अथवा शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिप्लोमा के बाद सात वर्ष का अनुभव	-तदैव-
7	चिकित्सा अधिकारी	जिला स्वास्थ्य अधिकारी / जिला परिवार कल्याण अधिकारी / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी	दस वर्ष	-तदैव-
8	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय / संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	वक्ष रोग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा क्षय रोग तथा वक्ष रोग में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव	-तदैव-

9	चिकित्सा अधिकारी	विशेषज्ञ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव अथवा विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव,	—तदैव—
10	दन्त शल्य चिकित्सक	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	स्नातकोत्तर उपाधि (एम. डी.एस.) प्राप्त करने के बाद दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में दस वर्ष का अनुभव,	—तदैव—
11	चिकित्सा अधिकारी	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2	कुष्ठ कार्य में 6 वर्ष का अनुभव	—तदैव—

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	उप संचालक, (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क, शिक्षा तथा माध्यम),	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य
2.	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)/ उप	संयुक्त संचालक (योजना एवं प्रबंधन)	पाँच वर्ष	तदैव

	संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)			
3.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	5 वर्ष	तदैव
4.	सांख्यिकी अधिकारी	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मानिटिरिंग)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)	5 वर्ष	तदैव
5.	प्रशासकीय अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच) / उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)	5 वर्ष	तदैव
6.	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव-शास्त्री/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	कीट विज्ञानी	पाँच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं- सदस्य
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	सांख्यिकी अधिकारी	पाँच वर्ष	तदैव
8.	वरिष्ठ निज सहायक (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सेवा) / भण्डार निरीक्षण अधिकारी / अधीक्षक / कनिष्ठ लेखा अधिकारी / वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय) / सहायक अधीक्षक / सहायक ग्रेड-1 (संचालनालय) / वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / कनिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / प्रबंधक, चिकित्सा भण्डार / केम्प-समन्वयक / सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रशासकीय अधिकारी/ वित्त अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी	1. भण्डार निरीक्षण अधिकारी/ अधीक्षक/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव 2. सहायक अधीक्षक/ वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय) / सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव 3. सहायक ग्रेड-1 / वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) / प्रबंधक	तदैव

			चिकित्सा भण्डार/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक (संचालनालय) केम्प-समन्वयक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव 4. वरिष्ठ निज सहायक के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव टीप- प्रशासकीय अधिकारी के 5 पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा 1 पद वरिष्ठ निज सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जाएगा।	
9.	सहायक मलेरिया अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव शास्त्री/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया)	5 वर्ष (विज्ञान में स्नातक)	तदैव
10.	(1) उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय) (2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक टीप- जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक के 5 पद ऐसे सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे जो समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि धारी हैं.	5 वर्ष	
11.	प्रचार सहायक/ उप संपादक (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रचार अधिकारी/संपादक	5 वर्ष	तदैव
12.	उप यंत्री (यांत्रिकी) (तृतीय श्रेणी सेवा))	सहायक यंत्री (परिवहन)/ सहायक यंत्री (भण्डार)	पाँच वर्ष	तदैव
13.	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी सेवा)	समाज विज्ञानी	पाँच वर्ष	तदैव

14.	भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट) तृतीय श्रेणी	वरिष्ठ भौतिक चिकित्साविद् (सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट)	1. भौतिक चिकित्साविद् (फिजियोथेरेपिस्ट) के पद पर 5 वर्ष की सेवा 2. भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) (बी. पी.टी.) 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद में पंजीयन.	तदैव
15.	खण्ड विस्तार शिक्षक/ स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)	छै: वर्ष	तदैव
16.	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	5 वर्ष	तदैव
17.	सहायक यंत्री (सिविल)	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	छै: वर्ष	तदैव
18.	उप यंत्री (सिविल)	सहायक यंत्री (सिविल)	(1) आठ वर्ष — (उपाधिधारक के लिये) (2) बारह वर्ष — (डिप्लोमाधारक के लिये)	तदैव
19.	निज सहायक	वरिष्ठ निज सहायक	पांच वर्ष	1. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — अध्यक्ष 2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं — सदस्य 3. संचालक — सदस्य
20.	प्रबंधक	महाप्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, प्रबंधक के पद पर	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य— अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं — सदस्य

21.	उप प्रबंधक	प्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, उप प्रबंधक के पद पर	-तदैव-
22.	सहायक प्रबंधक	उप प्रबंधक	5 वर्ष की सेवा, सहायक प्रबंधक के पद पर	-तदैव-

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु. क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं, यदि कोई हो तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी / जिला लोक स्वास्थ्य नर्स / लोक स्वास्थ्य नर्स / लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक / लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक / प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या) / प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या) के पद के लिये कॉलम (2) में दर्शाए गये किसी भी पद पर पाँच वर्ष का अनुभव, प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन के पद के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त बी.एस.सी. (परिचर्या) की उपाधि परिचर्या में स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमान दिया जावेगा,	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग — सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं — सदस्य
2.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर / परिचर्या अधीक्षक—ग्रेड-2 / प्राचार्य, एल.एच. व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर / प्राचार्य, जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र	बी.एस.सी. (परिचर्या) अथवा लोक स्वास्थ्य (परिचर्या) डिप्लोमा तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव,	तदैव
3.	(क) वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर / प्राचार्य, एल एच व्ही प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र (द्वितीय श्रेणी सेवा) (ख) लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी / जिला लोक स्वास्थ्य नर्स / लोक स्वास्थ्य नर्स / लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक / लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक,	1. बी.एस.सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा 2. वरिष्ठ सिस्टर	तदैव

			<p>ट्यूटर/ प्राचार्य प्रोन्नत शाला, / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव</p> <p>3. लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए पाँच वर्ष का अनुभव,</p>	
4.	सिस्टर ट्यूटर/लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण केन्द्र / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र,	<p>5 वर्ष का अनुभव केवल वे लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर, पात्र होगी जो बी.एस.सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा धारण करती हो,</p>	तदैव
5.	मेट्रन	परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड-दो	5 वर्ष	तदैव
6.	सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर	पाँच वर्ष	तदैव

Bhopal, the 4th March 2016

F No. 3-1/2014/17/ Medi-1 :- In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule-I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-I

(See rule 5)

Classification, Pay Scale, Number of Posts included in the Service
Group "A" Medical

S. No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director	5	Class I	P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 10000	-
2.	Additional Director Cadre - Regional Director, Health Service (07 posts)/ Director, State Blood Transfusion Council (01 post)/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS) (01 post)	9	-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+ Grade Pay 8900	-
3.	Director, State Health Information, Education and Communication Bureau, Bhopal	1	-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700	-
4.	Joint Director Cadre - (A) Chief Medical and Health Officer/ Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior/ Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre.	73	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 7600	There shall be total 130 posts in this group (One post of Chief Medical and Health Officer for each District (Total 51 posts), Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior (01 post) / Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre (03 posts) and Joint Director (18 posts) for Directorate / Divisional Office (Total 73 posts).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	(B) Civil Surgeon cum Chief Superitendent, District Hospital	57	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 7600	One post of Civil Surgeon cum Chief Superitendent District Hospital for each District Hospital (Total 51 posts) and Joint Director (06 posts) for Directorate / Divisional Offices (Total 57 posts).
5.	Leprosy Officer Grade-1	07	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	-
6.	District Immunisation Officer	51	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	-
7.	District Health Officer (51) / District Family Planning Officer (48) / Chief Block Medical Officer (313) / District Health and Epidemic Control Officer (20)	432	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	Existing post of Assistant Director, Health Services (Head Quarter 06 post) surrender
8.	Superintendent, Tuberculosis Hospital - (07) / Director, Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal - (01)	8	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+ Grade Pay 6600	-
9.	Specialists (a) Junior Grade Scale (100 %) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale) (c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale) (d) Senior Selection Grade Scale (5 % of total posts after completing 6 years service in Selection Grade Scale)	3160	-Do- -Do- -Do- -Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600 P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700 P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8900	(1) On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but here shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Emergency duties as well. (2) Posts of Regional Director are also included in sanctioned posts of Senior selection Grade.
10.	<p>Dental Specialist</p> <p>(a) Junior Grade Scale (100 %)</p> <p>(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale)</p> <p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale)</p> <p>(d) Senior Selection Grade Scale (5 % of total posts after completing 6 years service in Selection Grade Scale)</p>	51	<p>-Do-</p> <p>-Do-</p> <p>-Do-</p> <p>-Do-</p>	<p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8900</p>	<p>On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.</p>
11.	Leprosy Officer Grade-2	12	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600	---
12.	Deputy Director	44	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600	<p>Twenty posts for Directorate, Three posts for each Divisional Office Total – 21 posts and one additional post for Jabalpur, Indore and Gwalior for legal cases. (Total 44 posts)</p> <p>These posts shall be filled by officers working on posts mentioned at serial number 5 to 11.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	<p>Medical Officer</p> <p>(a) Junior Grade Scale (100 %)</p> <p>(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale)</p> <p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale)</p> <p>(d) Senior Selection Grade Scale (2 % of total post after completing 6 years service in Selection Grade Scale)</p>	4838	<p>Class – II</p> <p>Class – I</p> <p>-Do-</p> <p>-Do-</p>	<p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p>	<p>On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.</p>
14.	<p>Dental Surgeon</p> <p>(a) Junior Grade Scale (100 %)</p> <p>(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Junior Grade Scale)</p> <p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 years service in Senior Grade Scale)</p> <p>(d) Senior Selection Grade Scale (2 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)</p>	159	<p>Class – II</p> <p>Class – I</p> <p>-Do-</p> <p>-Do-</p>	<p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p>	<p>On the recommendation of Screening Committee after completing 6 years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, they shall be eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively, but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.</p>

- Note - 1. After promotion/retirement of officers presently working on posts of Joint Directors, before this amendment, posts vacated thereby shall be filled up by the Chief Medical and Health Officer and Civil Surgeon cum Chief Superintendent, District Hospital.
2. 10 posts of Joint Director shall be in the Directorate and 2 posts of Joint Director shall be in each Divisional Office (total 14 posts), thus there shall be total 24 posts of Joint Director.

Group - "B" - Non Medical

S. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joint Director (Mass Education and Media)	1	Class I	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600
2.	Joint Director (Planning and Management)	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600
3.	Deputy Director (Health Education Bureau)	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
4.	Deputy Director (Planning, Evaluation and Monitoring) / Deputy Director (Demography)	2	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
5.	Deputy Director (Establishment and Administration) / Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry) / Deputy Director (Law and Legal works)	3	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
6.	Entomologist	5	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
7.	Chief Engineer (Civil)	1	-Do-	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700
8.	Executive Engineer (Civil)	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
9.	Statistical Officer	7	Class - II	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
10.	Finance Officer / Accounts Officer / Store Officer	3	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
11.	Administrative Officer	118	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
12.	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional office 07)	8	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
13.	Cold Chain Officer	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
14.	District Malaria Officer (52) / Biologist (3) / Assistant Entomologist (Malaria-Filaria) (01)	56	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	District Extension and Media Officer / Exhibition Officer / Communication Officer / Health Education Officer / Health Education Instructor / Social Science Instructor	52	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
16.	Publicity Officer / Editor	1	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
17.	Assistant Engineer (Transport) / Assistant Engineer (Store)	2	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
18.	Social Scientist	1	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
19.	Management Instructor	3	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
20.	Assistant Engineer (Civil) (One post for Directorate and seven posts for Divisional office one post for each)	8	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
21.	Senior Physiotherapist	10	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
22.	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination) / Deputy District Extension and Media Officer (Health Education) / Deputy District Extension and Media Officer	76	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 3600
23.	Senior Sanitary Officer	1	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 3600
24.	Senior Personal Assistant	4	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
25.	General Manager (Directorate Level)	1	Class I	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700
26.	Manager (One post for each District Hospital having 500 or more beds)	4	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600
27.	Deputy Manager (One post for each District Hospital having 300 or more beds but less than 500 beds)	28	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
28.	Assistant Manager (One post for each District Hospital (Total 51 posts) and One post for each Civil Hospital (Minimum 100 beds) (Total 31 posts))	82	Class - II	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400

Group – "C" - Nursing Services

S. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director, Health Services (Nursing)	1	Class I	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
2.	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain	1	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600
3.	Public Health Nursing Officer (19)/ District Public Health Nurse (51+7)/ Public Health Nursing Instructor (3)/ Public Health Nurse Educator (2)	82	Class - II	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal General Nursing Midwife Training Centre (12)	13	-Do-	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400
5.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Training Centre (21)/ Senior Sister Tutor (2)/ Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (11)	35	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200
6.	Nursing Superintendent, Grade – II	43	-Do-	P.B.-2 (9300-34800)+Grade Pay 4200

"SCHEDULE-II
(see rule 6)
Method of Recruitment
Group - "A" - Medical

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total Number of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment (see rule 6 (1) (a))	By Promotion (see rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (see rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Director	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	5	-	100%	-	-
2.	Additional Director Cadre- Regional Director, Health Service (07 posts)/ Director, State Blood Transfusion Council (01 post)/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS) (01 post)	-Do-	9	-	100%	-	-
3.	Director, State Health and Information, Education and Communication Bureau, Bhopal	-Do-	1	-	100%	-	-
4.	Joint Director Cadre- (A) Chief Medical and Health Officer/ Director, State Institute of Health Management and Communication,	-Do-	73	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Gwalior /Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre. (B) Civil Surgeon cum Chief Superitendent District Hospital	-Do-	57	-	100%	-	-
5.	Leprosy Officer Grade-I	-Do-	7	-	100%	-	-
6.	District Immunisation Officer	-Do-	51	-	100%	-	-
7.	District Health Officer (51) / District Family Planning Officer (48) / Chief Block Medical Officer (313) / District Health and Epidemic Control Officer (20)	-Do-	432	-	100%	-	-
8.	Superintendent Tuberculosis Hospital - (07) / Director Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal - (01)	-Do-	8	-	100%	-	-
9.	Specialist	-Do-	3160	-	100%	-	-
10.	Dental Specialist	-Do-	51	-	100%	-	-
11.	Leprosy Officer Grade-II	-Do-	12	-	100%	-	-
12.	Deputy Director	-Do-	44	-	-	100%	These posts shall be filled by officers working on by posts mentioned at serial number 5 to 11.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13.	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services - Class II	4838	100%	-	-	-
14.	Dental Surgeon	-Do-	159	100%	-	-	-

Group - "B" - Non Medical

S. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [(see rule 6 (1) (a))]	By Promotion [see rule 6 (1) (b)]	By Transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director (Mass Education and Media)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100%	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by the deputation from an officer of public relation Department
2.	Joint Director (Planning and Management)	-Do-	1	-	100%	-	If suitable candidate is not available for promotion then the post may be filled up by deputation from an officer of Finance Department (Directorate of Treasury and Accounts)
3.	Deputy Director (Health Education Bureau)	-Do-	1	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Deputy Director (Planning, Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	-Do-	2	-	100%	-	-
5.	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works)	-Do-	3	-	100%	-	-
6.	Entomologist	-Do-	5	-	100%	-	-
7.	Chief Engineer (Civil)	-Do-	1	-	-	100%	The post shall be filled by Deputation from by officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
8.	Executive Engineer (Civil)	-Do-	1	-	100%	-	If suitable candidate is not available for promotion then post may be filled up by the Deputation of officers from Public Works Department or Rural Engineering Services.
9.	Statistical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted Services-Class II)	7	25%	75%	-	-
10.	Finance Officer / Accounts Officer / Store Officer	-Do-	3	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	Administrative Officer	-Do-	118	25%	75%	-	-
12.	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional Office 07)	-Do-	8	-	-	100%	By officers from Madhya Pradesh Finance and Accounts Service officers
13.	Cold Chain Officer	-Do-	1	100%	-	-	-
14.	District Malaria Officer (52) / Biologist (3)/ Assistant Entomologist (Malaria-Filaria) (1)	-Do-	56	25%	75%	-	-
15.	District Extension and Media Officer / Exhibition Officer / Communication Officer / Health Education Officer / Health Education Instructor / Social Science Instructor	-Do-	52	20%	80%	-	-
16.	Publicity Officer / Editor	-Do-	1	-	100%	-	-
17.	Assistant Engineer (Transport) / Assistant Engineer (Store)	-Do-	2	-	100%	-	If suitable candidates are not available for promotion then these posts may be filled up by the Deputation from the officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
18.	Social Scientist	-Do-	1	-	100%	-	-
19.	Management Instructor	-Do-	3	100%	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Assistant Engineer (Civil)	-Do-	8	-	100%	-	If suitable candidates are not available for promotion, then the post may be filled up by the Deputation of officers from the officer of Public Works Department or Rural Engineering Services.
21.	Senior Physiotherapist	-Do-	10	-	100%	-	One Post for Each District Hospital (having 400 bed or more)
22.	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination) / Deputy District Extension and Media Officer (Health Education) / Deputy District Extension and Media Officer	-Do-	76	-	100%	-	-
23.	Senior Sanitary Officer	-Do-	1	-	100%	-	-
24.	Senior Personnel Assistant	-Do-	4	-	100%	-	-
25.	General Manager (Directorate Level)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100%	-	-
26.	Manager (One post for each District Hospital having 500 or more beds capacity)	-Do-	4	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27.	Deputy Manager (One post for each District Hospital having 300 or more beds capacity but less than 500 beds)	-Do-	28	-	75%	25%	Those Medical Officers who have been sanctioned Senior Grade Scale and possess Post Graduate Degree or Diploma in Public Health and Management or Hospital Management / Administration course are eligible for Deputation
28.	Assistant Manager (One post for each District Hospital (total 51 post) and for Civil Hospital one post (Minimum 100 beds) (Total 31 post))	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class II	82	75%	-	25%	Those Medical Officer who possess Post Graduate Degree or Diploma in Public Health and Management or Hospital Management / Administration course are eligible for Deputation.

Group - "C" - Nursing Service

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [see rule 6 (1) (a)]	By Promotion [see rule 6 (1) (b)]	By Transfer of persons from other services [see rule 6 (1) (c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Deputy Director, Health Services (Nursing)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class I	1	-	100%	-	-
2.	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain	-Do-	1	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Public Health Nursing Officer (19)/ District Public Health Nurse (51+7)/ Public Health Nursing Instructor (3)/ Public Health Nurse Educator (2)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services-Class II	82	25%	75%	-	-
4.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior (01) / Principal General Nursing Midwife Training Centre (12)	-Do-	13	-	100%	-	-
5.	Principal, Lady Health Visitor Training Centre (1) / Principal, Female Training Centre (21)/ Senior Sister Tutor (2)/ Vice Principal, General Nursing Midwife Training Centre (11)	-Do-	35	-	100%	-	-
6.	Nursing Superintendent Grade – II	-Do-	43	-	100%	-	-

SCHEDULE-III

(see rule 8)

Age and Qualification of persons being directly recruited**Group - "A" - Medical**

S.N o.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Medical Officer	21 years	40 years	MBBS or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	-
2.	Dental Surgeon	21 years	40 years	BDS Degree or any equivalent degree from a recognised university.	-

Group - "B" - Non-Medical

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Statistical Officer	21 years	40 years	M.A. (Statistics) Preferably Ph.D/ Diploma in Health Statistics	-
2.	Administrative Officer	25 years	40 years	Graduate with 5 years supervisory experience and Preference shall be given to accounts training (SAS) qualified candidates.	-
3.	Cold Chain Officer	21 years	40 years	A University Degree in Mechanical or Refrigeration Engineering with one year experience or Diploma in Refrigeration Engineering in maintenance and operation of Refrigeration equipments.	-
4.	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Filaria)	21 years	40 years	M.Sc. (Zoology), preference shall be given to M.Sc. (Entomology)	-
5.	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor	21 years	40 years	M.A. in Sociology, preference shall be given to a Diploma holder in Health Education/ Diploma in Journalism from Indian Institute of Mass Communication.	-
6.	Management Instructor	21 years	40 years	Post Graduation Degree in Public Administration/ Business Administration from a recognized University, preference shall be given to candidates having teaching and supervisory experience.	-
7.	Assistant Manager	21 years	40 years	Post Graduation degree in Public Health Management or Hospital Management / Administration from a recognized University.	-

Group - "C" - Nursing Services

S.No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Instructor/ Public Health Nurse Educator	28 years	40 years	B.Sc. (Nursing) or Certificate in Public Health Nursing from any recognized Institution. Ten years experience in Nursing Services.	-

SCHEDULE-IV
(See rule 13 and 14)
SERVICE EXPERIENCE FOR PROMOTION AND MEMBER OF DEPARTMENTAL
PROMOTION COMMITTEE
Group - "A" - Medical

Sr. No.	Name of post or Service from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Essential qualification, if any and other experience of the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Regional Director, Health Services / Director, State Blood Transfusion Council/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS)	Director	Three years	1. Chief Secretary - Chairman 2. A Senior Additional Chief Secretary/ Principal Secretary of the Government nominated by the Chief Secretary - Member 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 4. Additional Secretary/ Deputy Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member
2.	Chief Medical and Health Officer/ Civil Surgeon-cum-Chief Superintendent, District Hospital / Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior/ Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre.	Regional Director, Health Services / Director, State Blood Transfusion Council/ Additional Director, State Aids Control Society (MPSACS)	Five years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services- Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	District Health Officer / District Family Planning Officer / Chief Block Medical Officer / District Health and Epidemic Control Officer / Superintendent, Tuberculosis Hospital / Director, Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal / District Immunisation Officer / Leprosy Officer Grade-2	Chief Medical and Health Officer/ Director, State Institute of Health Management and Communication, Gwalior/ Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre. (25% Post Promotion from Specialist remaining 75% Post from persons appointed in posts shown in Column (2) of Serial No. 3.	Five years	----Do----
4.	Specialist	Civil Surgeon-cum-Chief Superintendent, District Hospital	Five years	----Do----
5.	Leprosy Officer Grade-2	Leprosy Officer Grade-1	6 years experience in leprosy work	----Do----
6.	Medical Officer	District Immunisation Officer	Five years experience as medical officer after obtaining Post Graduate degree in Pediatrics or Preventive and Social Medicine or Seven years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Diploma in Pediatrics or Preventive and Social Medicine.	----Do----
7.	Medical Officer	District Health Officer/ District Family Welfare Officer/Chief Block Medical Officer/ District Health and Epidemic Control Officer	Ten years	----Do----

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Medical Officer	Superintendent, T.B. Hospital / Director, Tuberculosis Demonstration and Training Centre, Bhopal	Five years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Degree in Chest disease or seven years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Diploma in Tuberculosis and chest disease.	----Do----
9.	Medical Officer	Specialist	Three years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Degree in Speciality or Five years experience as Medical Officer after obtaining Post Graduate Diploma in speciality from a recognised university.	----Do----
10.	Dental Surgeon	Dental Specialist	Five years experience as Dental Surgeon after obtaining Post Graduate Degree (M.D.S.) or ten years experience as Dental Surgeon.	----Do----
11.	Medical Officer	Leprosy Officer Grade-2	6 years experience in leprosy work	----Do----

Group - "B" - Non-Medical

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deputy Director (Health Education Bureau)	Joint Director (Mass Education and Media)	Five years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member
2.	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works) / Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Joint Director (Planning and Management)	Five years	---Do---
3.	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor	Deputy Director, Health Services (Health Education Bureau)	Five years	---Do---
4.	Statistical Officer	Deputy Director (Planning, Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Five years	---Do---
5.	Administrative Officer/ Accounts Officer/ Store Officer	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal Works)	Five years	---Do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	District Malaria Officer/ Biologist/ Assistant Entomologist (Malaria Filaria)	Entomologist	Five years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him - Chairman 2. Additional Chief Secretary Principal Secretary Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services-Member
7.	Assistant Statistical Officer (Class III Service)	Statistical Officer	Five years	---Do---
8.	Store Inspection Officer/ Superintendent / Junior Accounts Officer/ Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Superintendent/ Assistant Grade- I(Directorate)/ Senior Auditor (Divisional)/Junior Auditor (Directorate). Manager Medical Store/ Camp Co-ordinator/ Assistant Statical Officer/ Senior Personal Assistant (Class III Service)	Administrative Officer/ Finance Officer / Accounts Officer/ Store Officer	1. Five years experience on the post of Store Inspection Officer/ Superintendent/ Junior Accounts Officer 2. Five years experience on the post of Assistant Superintendent/ Senior Auditor (Directorate) /Assistant Statistical Officer 3. Five years experience on the post of Assistant Grade-I/ Senior Auditor (Divisional)/ Manager Medical Store/ Junior Auditor (Directorate) Camp Coordinator. 4. Five years experience on the post of Senior Personal Assistant. Note- 5 Posts of Administrative Officer shall be filled by promotion of Assistant Statistical Officer and 1 post shall be filled by the promotion of Senior Personnel Assistant.	---Do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Assistant Malaria Officer (Class III Service)	District Malaria Officer / Biologist / Assistant Entomologist (Malaria- Filaria)	Five years (Graduate in Science)	---Do---
10.	(1) Deputy District Extension and Media Officer/ Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/ Deputy District Extension and Media Officer (Co- ordination) (2) Assistant Statistical Officer	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor Note:- 5 Post of District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer / Health Education Instructor/ Social Science Instructor shall be filled by promotion of Assistant Statistical Officer, who hold Post Graduate Degree in Sociology.	Five years	---Do---
11.	Publicity Assistant/ Sub- Editor (Class III Service)	Publicity Officer/ Editor	Five years	---Do---
12.	Sub-Engineer Technical (Class-III Service)	Assistant Engineer Transport/ Assistant Engineer (Stores)	Five years	---Do---
13.	Medico Social Worker (Class-III Service)	Social Scientist	Five years	---Do---
14.	Physiotherapist (Class Three Service)	Senior Physiotherapist	1. Five Years service on the Post of Physiotherapist 2. Bachelor of Physiotherapy. (BPT) 3. Registration in Madhya Pradesh Paramedical Council.	---Do---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	Block Extension Educator/ Health Education Extension Officer (Class-III Service)	Deputy District Extension and Media Officer/ Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/ Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination)	Six years	---Do---
16.	Community Health Officer (Class-III Service)	Senior Sanitary Officer	Five years	---Do---
17.	Assistant Engineer (Civil)	Executive Engineer (Civil)	Six years	---Do---
18.	Sub Engineer (Civil)	Assistant Engineer (Civil)	(1) Eight years experience (for Degree holder) (2) Twelve years experience (for Diploma holder)	---Do---
19.	Personal Assistant	Senior Personal Assistant	Five years	1. Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Chairman 2. Commissioner, Health Services - Member 3. Director - Member
20.	Manager	General Manager	Five year's Service on the post of Manager	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or Member nominated by Him - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services - Member
21.	Deputy Manager	Manager	Five year's Service on the post of Deputy Manager	---Do---
22.	Assistant Manager	Deputy Manager	Five years Service on the post of Assistant Manager	---Do---

Group - "C" - Nursing Services

1.	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator/ Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior	Deputy Director, Health Services (Nursing)/ Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain	1. Five years experience on any of post shown in column (2) for Deputy Director, Health Services (Nursing) 2. For Principal Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain in addition to above, degree in B.Sc. (Nursing), Preference shall be given to the candidate who possesses post graduate degree in Nursing.	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department - Member 3. Commissioner, Health Services Member
2.	Senior Sister Tutor/ Nursing Superintendent Grade-II/ Principal LHV Training Centre/ Principal, Female Health Worker Training Centre.	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior / Principal, General Nursing Midwife Training Centre	B.Sc. (Nursing) or Public Health (Nursing) Diploma and Five years teaching experience.	---Do---
3.	(A) Senior Sister Tutor/ Principal, Lady Health Visitor Training Centre, Jabalpur / Principal, Female Health Worker Training Centre (Class II Service) (B) Public Health Tutor / Sister Tutor (Class III Service)	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator.	1. B.Sc. (Nursing) degree or Diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration 2. Five years experience on the post of Senior Sister Tutor/ Principal Promotee Centre / Principal Female Health Worker Training Centre 3. Five year experience for Public Health Tutor/ Sister Tutor	---Do---
4.	Sister Tutor/ Public Health Tutor (Class III Service)	Principal, Lady Health Visitor Training Centre / Principal Female Health Worker Training Centre.	Five years experience, only those Public Health Tutor/ Sister Tutor shall be eligible who possess B.Sc. (Nursing) degree or diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration.	---Do---
5.	Matron	Nursing Superintendent Grade-II	Five years	---Do---
6.	Sister Tutor (Class III Service)	Senior Sister Tutor	Five years	---Do---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सूरज डामोर, सचिव.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जून 2011—ज्येष्ठ 17, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2011

क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) अनुसूची — एक में, शीर्ष समूह “क” चिकित्सा के अधीन, अनुक्रमांक 10, 11, 12, एवं 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जायें, अर्थात् :—

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	विशेषज्ञ (क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (100 प्रतिशत) (ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान (वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् 100 प्रतिशत) (घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान (प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् कुल पदों का 5 प्रतिशत)	कुल पद 3057	प्रथम श्रेणी —तदैव— —तदैव— —तदैव—	वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ग्रेड पे 6800 वेतन बैंड-3 (15600-39100)+ग्रेड पे 7600 वेतन बैंड-4 (37400-67000)+ग्रेड पे 8700 वेतन बैंड-4 (37400-67000)+ग्रेड पे 8900	(1) छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, के लिये पात्र होंगे किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्ववत् आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। (2) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के स्वीकृत पदों में क्षेत्रीय संचालक, का पद भी सम्मिलित है।

[illegible]

(2) अनुसूची-दो में शीर्ष समूह "क" - चिकित्सा के अधीन अनुक्रमांक 10, 12 एवं 13 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जायें, अर्थात् :-

अनु क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	3057	—	100%	—	—
11	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा प्रथम श्रेणी	12	—	100%	—	—
12	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	3790	100%	—	—	—
13	दंत चिकित्सक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा द्वितीय श्रेणी	144	100%	—	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 जून 2011

क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि-1, दिनांक 7 जून 2011 का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.

Bhopal, the 7th June 2011

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules -

(1) In Schedule-I, under the heading Group 'A' - Medical, for serial number 10,11,12 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

Sr. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Specialist (a) Junior Grade Scale (100%) (b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale)	Total Post 3057	Class - I do	P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600 P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600	(1) On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale)</p> <p>(d) Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)</p>		<p>do</p> <p>do</p>	<p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8900</p>	<p>grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.</p> <p>(2) Post of regional Director are also included in sanctioned posts of Senior selection Grade.</p>
11	<p>Dental Specialist</p> <p>(a) Junior Grade Scale (100%)</p> <p>(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale)</p> <p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale)</p>	Total Post 12	<p>Class - I</p> <p>do</p> <p>do</p>	<p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p>	<p>(1) On the recommendation of Screening Committee, after completing 6 Years service in Junior grade scale, senior grade scale, and selection grade scale eligible for senior grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.</p>
	<p>(d) Senior Selection Grade Scale (5 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)</p>		do	P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8900	
12	<p>Medical Officer</p> <p>(a) Junior Grade Scale (100%)</p> <p>(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale)</p> <p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale)</p> <p>(d) Senior Selection Grade Scale (2 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)</p>	Total Post 3790	<p>Class II</p> <p>Class I</p> <p>Class I</p> <p>Class I</p>	<p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p>	<p>On the recommendation of Screening Committee after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	<p>Dental Surgeon</p> <p>(a) Junior Grade Scale 100%</p> <p>(b) Senior Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Junior Grade Scale)</p> <p>(c) Selection Grade Scale (100 % after completing 6 year service in Senior Grade Scale)</p> <p>(d) Senior Selection Grade Scale (2 % of total post after completing 6 year service in Selection Grade Scale)</p>	Total Post 144	<p>Class II</p> <p>Class I</p> <p>Class I</p> <p>Class I</p>	<p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 5400</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 6600</p> <p>P.B.-3 (15600-39100)+Grade Pay 7600</p> <p>P.B.-4 (37400-67000)+Grade Pay 8700</p>	On the recommendation of Screening Committee after completing 6 Years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale, and 6 years service in selection grade scale, eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.

(2) In schedule-II, under the heading Group 'A' - Medical, for serial number 10, 11, 12 and 13 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment (See Rule 6 (1) (a))	By Promotion (See Rule 6 (1) (b))	By Transfer of persons from other services (See Rule 6 (1) (c))	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Specialist	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services - Class I	3057	-	100%	-	-
11	Dental Specialist	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services - Class I	12	-	100%	-	-
12	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services - Class II	3790	100%	-	-	-
13	Dental Surgeon	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services - Class II	144	100%	-	-	-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH JAIN, Dy. Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 मार्च 2008—चैत्र 7, शक 1930

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2008

क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा या पद के सम्बन्ध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, सरकार;

(ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) “आयुक्त” से अभिप्रेत है, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश;

(घ) “समिति” से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति;

(ङ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति, या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी:

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा चयन या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या दोनों द्वारा;
- (ख) अनुसूची चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा; और
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल/स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.**—चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) **आयु.**—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो, मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु-सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो; कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते की इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम-से-कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से दोन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार

कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और;—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त किया गया हो.

- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.
- (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक अथवा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों.
- (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.
- (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.
- (ड) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्डधारक हैं, उच्चतर आयु-सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत संवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) विक्रम पुरस्कारधारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु-सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

- (ट) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशनड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए;
- (ठ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी .— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8(1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्यागपत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं .—** अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दशाई गई सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, परन्तु :—

- (क) आयोग आपवादिक मामलों में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराता हो; और
- (ख) ऐसे अभ्यर्थियों पर भी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है, आयोग के विवेकानुसार, परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस .—** अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता .—**(एक) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा .—** चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भरती :—**

- (क) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भरती .—**(1) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे.

- (2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जायेगी, जो कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करे।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भरती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) सामान्य प्रशासन विभाग के निदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (9) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भरती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां आयोग, सरकार से परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो सकें तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से नहीं भरी जायेंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जायेंगी।

(ख) **चयन द्वारा सीधी भरती.**—(1) सेवा में पदों पर नियुक्ति के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे।

(2) सेवा में पदों पर अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा साक्षात्कार लेने के पश्चात् किया जाएगा।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. **परिवीक्षा** .— सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** .— (1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नाम-निर्देशित किये अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

(2) **अनुसूची** .—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति में आरक्षण एवं पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन** .—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि सरकार निदेश दे, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें** .— (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो।

स्पष्टीकरण .—(1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति-सुसंगत वर्ष की, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, एक जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फ्रीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

(2) पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति का, प्रथम पदोन्नति के लिये तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अनुसूचित क्षेत्र में दो वर्ष की सेवा पूर्ण न की हो:

परन्तु किसी व्यक्ति की अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना न की जाना, उसकी पदोन्नति के लिये निरर्हता के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा।

टिप्पणी .— (1) अनुसूचित क्षेत्र में प्रशिक्षण और परिवीक्षा पर बिताई गई कालावधि को उपर्युक्त खण्ड (3) के लिये सेवा के प्रयोजन के रूप में माना जायेगा।

(2) उपर्युक्त खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्त उन व्यक्तियों की आगे की पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होगी जिन्हें उक्त शर्त के प्रवर्तन के पूर्व पदोन्नत किया गया था।

16. उपर्युक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना .—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों। यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें दो लोक सेवकों के नाम अथवा उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों के नाम, जो भी अधिक हो, सम्मिलित होंगे।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिये मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अनुसार होगा।

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जायेंगे। जब कभी योग्यता-सह-वरिष्ठता के मानदण्ड के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, चयन सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जायेगी।

स्पष्टीकरण .—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्पूर्ति चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

17. आयोग से परामर्श .—विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाए, की सिफारिश के संबंध में समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श आवश्यक नहीं होगा।

18. चयन सूची .—(1) सरकार, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगी और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगी।

(2) यदि सरकार, समिति में प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हों, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगी, जो उसकी राय में न्यायसंगत हो।

(3) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित, चयन सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति .—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो।

20. परीक्षण अवधि .—सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षण पर नियुक्त किया जाएगा।

21. निर्वचन .—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

22. शिथिलीकरण .—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो।

23. व्यावृत्ति .—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

24. निरसन .—मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी भी आदेश या की गई किसी कार्यवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

समूह "क" चिकित्सा

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक	04	प्रथम श्रेणी	18400-500-22400	
2	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/ क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवा/ संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद् आंतरिक संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ	10	-तदैव-	16400-450-20000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य तथा सूचना शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल.	01	प्रथम श्रेणी	14300-400-18300	
4	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (संभागीय कार्यालय-07/मुख्यालय-06).	13	-तदैव-	12000-375-16500	
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी-(48)/उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें/(संभागीय कार्यालय-21)/मुख्यालय-(9)/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (03/अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर (01)/अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल-(1).	83	-तदैव-	10650-325-15850	
6	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	07	-तदैव-	10650-325-15850	
7	जिला टीकाकरण अधिकारी	48	-तदैव-	10000-325-15200	
8	जिला स्वास्थ्य अधिकारी-(48)/जिला परिवार कल्याण अधिकारी -(48)/मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी (313)/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी -(20)/सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें (मुख्यालय) (06).	435	-तदैव-	10000-325-15200	
9	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय-(07)/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल (01).	08	-तदैव-	10000-325-15200	
10	विशेषज्ञ	1970	-तदैव-		छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा; वरिष्ठ, श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवरण श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन पर उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	1182	-तदैव-	10000-325-15200	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 23 प्रतिशत.	453	-तदैव-	12000-375-16500	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	295	-तदैव-	14300-400-18300	
	(घ) वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान 2 प्रतिशत.	40	-तदैव-	16400-450-20000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	06	प्रथम श्रेणी	-	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी/प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	4	-तदैव-	10000-325-15200	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 25 प्रतिशत.	1	-तदैव-	12000-375-16500	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	1	-तदैव-	14300-400-18300	
12	चिकित्सा अधिकारी	3520		-	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवरण श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान/प्रवरण श्रेणी वेतनमान/वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	2112	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 23 प्रतिशत.	810	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	528	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500	
	(घ) वरिष्ठ प्रवरण श्रेणी वेतनमान 2 प्रतिशत	70	प्रथम श्रेणी	14300-400-18300	
13	दन्त शल्य चिकित्सक	137		-	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 4 वर्ष की सेवा के पश्चात् क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवरण श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी/प्रवरण श्रेणी वेतनमान में चयन के पश्चात् कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे आपात कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते रहेंगे.
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान 60 प्रतिशत.	83	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500	
	(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान 25 प्रतिशत.	34	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200	
	(ग) प्रवरण श्रेणी वेतनमान 15 प्रतिशत	20	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500	

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	संयुक्त संचालक (सार्वजनिक, शिक्षा तथा माध्यम)	1	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500
2	संयुक्त संचालक, (योजना तथा प्रबंधन)	1	-तदैव-	12000-375-16500
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	-तदैव-	10000-325-15200
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/ उप संचालक (जन सांख्यिकी).	2	-तदैव-	10000-325-15200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन)/उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच)/उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य).	3	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200
6	कीट विज्ञानी	1	—तदैव—	10000—325—15200
7	कार्यपालन यंत्री (परिवहन)	1	—तदैव—	10000—325—15200
8	सांख्यिकी अधिकारी	7	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500
9	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/भण्डार अधिकारी	3	—तदैव—	8000—275—13500
10	प्रशासकीय अधिकारी	54	—तदैव—	8000—275—13500
11	लेखा अधिकारी (मुख्यालय 01/संभागीय कार्यालय 07)	8	—तदैव—	8000—275—13500
12	कोल्ड चेन अधिकारी	1	—तदैव—	8000—275—13500
13	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया).	45	—तदैव—	8000—275—13500
14	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक.	52	—तदैव—	8000—275—13500
15	प्रचार अधिकारी/संपादक	1	—तदैव—	6500—200—10500
16	सहायक यंत्री (परिवहन)/सहायक यंत्री (भण्डार)	6	—तदैव—	6500—200—10500
17	समाज विज्ञानी	1	—तदैव—	6500—200—10500
18	प्रबंध अनुदेशक	3	—तदैव—	8000—275—13500
19	स्वच्छता यंत्री	4	—तदैव—	8000—275—13500
20	भौतिक चिकित्साविद्	2	—तदैव—	6500—200—10500
21	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार अधिकारी.	78	—तदैव—	5500—175—9000
22	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	—तदैव—	5500—175—9000

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या)	1	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन	1	—तदैव—	10000—325—15200
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स. अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	82	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500
4	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर	1	—तदैव—	8000—275—13500
5	प्राचार्य, एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला, प्रशिक्षण शालाएं/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर.	30	—तदैव—	6500—200—10500
6	परिचर्या, अधीक्षण ग्रेड-2	13	—तदैव—	6500—200—10500

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका
समूह "क" चिकित्सा

अनु- क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	संचालक	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—प्रथम श्रेणी	4	—	100 प्रतिशत	—	—
2	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	—तदैव—	10	—	100 प्रतिशत	—	—
3	संचालक, राज्य स्वास्थ्य तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार ब्यूरो, भोपाल.	—तदैव—	1	—	100 प्रतिशत	—	—
4	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	—तदैव—	13	—	100 प्रतिशत	—	—
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय) तथा संभागीय कार्यालय/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र/ अधीक्षक, सनी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/अधीक्षक, कैलाशनाथ कांटजू चिकित्सालय, भोपाल.	—तदैव—	83	—	100 प्रतिशत	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं प्रथम श्रेणी.	7	-	100 प्रतिशत	-	-
7	जिला टीकाकरण अधिकारी	-तदैव-	48	-	100 प्रतिशत	-	-
8	जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार नियोजन अधिकारी/मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय).	-तदैव-	435	-	100 प्रतिशत	-	-
9	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/ संचालक, क्षय रोग प्रत्यक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल	-तदैव-	08	-	100 प्रतिशत	-	-
10	विशेषज्ञ	-तदैव-	1970	-	100 प्रतिशत	-	-
11	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	-तदैव-	06	-	100 प्रतिशत	-	-
12	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं द्वितीय श्रेणी.	3520	-	100 प्रतिशत	-	-
13	दन्त शल्य चिकित्सक	-तदैव-	137	-	100 प्रतिशत	-	-

समूह "ख" गैर-चिकित्सीय

अनु- क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संयुक्त संचालक, (सार्वजनिक शिक्षा तथा माध्यम).	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं— प्रथम श्रेणी	1	-	100 प्रतिशत
2	संयुक्त, संचालक, (योजना एवं प्रबंधन)	-तदैव-	1	-	100 प्रतिशत

यदि पदोन्नति के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो यह पद जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है.

यदि पदोन्नति के द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो यह पद वित्त विभाग (कोष एवं लेखा संचालनालय) से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं— प्रथम श्रेणी	1	-	100 प्रतिशत	-	-
4	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/उप संचालक जनसांख्यिकी).	—तदैव—	2	-	100 प्रतिशत	-	-
5	उप संचालक (स्थापना एवं प्रशासन)/ उप संचालक (शिकायत एवं विभागीय जांच)/ उप संचालक (विधि एवं विधिक कार्य).	—तदैव—	3	-	100 प्रतिशत	-	-
6	कीट विज्ञानी	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-
7	कार्यपालन यंत्री (परिवहन)	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग से या सरकार के किसी अन्य विभाग से स्थानान्तरण द्वारा, जिनके पास यांत्रिकी इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (पत्रोपाधि) हो.
8	सांख्यिकी अधिकारी	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—द्वितीय श्रेणी	7	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-
9	वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/ भण्डार अधिकारी.	—तदैव—	3	-	100 प्रतिशत	-	-
10	प्रशासकीय अधिकारी	—तदैव—	54	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-
11	लेखा अधिकारी	—तदैव—	8	-	-	100 प्रतिशत	मध्यप्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों से.
12	कोल्ड चेन अधिकारी	—तदैव—	1	100 प्रतिशत	-	-	-
13	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया).	—तदैव—	45	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक.	मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवाएं—द्वितीय श्रेणी.	52	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत	-	-
15	प्रचार अधिकारी/संपादक	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-
16	सहायक यंत्री (परिवहन)/सहायक यंत्री (भण्डार).	—तदैव—	6	-	100 प्रतिशत	-	-
17	समाज विज्ञानी	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-
18	प्रबंध अनुदेशक	—तदैव—	3	100 प्रतिशत	-	-	-
19	स्वच्छता यंत्री	—तदैव—	4	-	-	100 प्रतिशत	-
20	भौतिक चिकित्साविद्	—तदैव—	2	-	100 प्रतिशत	-	-
21	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/उप जिला विस्तार अधिकारी.	—तदैव—	78	-	100 प्रतिशत	-	-
22	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु- क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1)(क) देखिए]	पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या).	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा— प्रथम श्रेणी.	1	-	100 प्रतिशत	-	-
2	प्राचार्य क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	—तदैव—	1	-	100 प्रतिशत	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा— प्रथम श्रेणी.	82	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	-	-
4	प्राचार्य, लोक अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा— द्वितीय श्रेणी.	1	-	100 प्रतिशत	-	-
5	प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण शालाएं/वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर.	—तदैव—	30	-	100 प्रतिशत	-	-
6	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-2	—तदैव—	13	-	100 प्रतिशत	-	-

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

समूह "क" चिकित्सा

अनु क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	अभ्युक्ति (6)
1	चिकित्सा अधिकारी	21 वर्ष	32 वर्ष	एम.बी.बी.एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता.	
2	दन्त शल्य चिकित्सक	21 वर्ष	32 वर्ष	बी.डी.एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई समतुल्य उपाधि.	

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सांख्यिकी अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	एम.ए. (सांख्यिकी) पी.एच.डी. को अधिमान्यता/स्वास्थ्य सांख्यिकी में डिप्लोमा सहित.	
2	प्रशासकीय अधिकारी	25 वर्ष	40 वर्ष	पांच वर्ष के पर्यवेक्षी अनुभव सहित स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षित. (एस. ए. एस.) में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा.	
3	कोल्ड चैन अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	मेकेनिकल अथवा रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि एक वर्ष का कार्यानुभव सहित अथवा प्रशीतन यांत्रिकी में, उपस्कर के अनुरक्षण तथा प्रशीतन प्रचालन में डिप्लोमा.	
4	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव-शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया- फाईलेरिया)	21 वर्ष	30 वर्ष	एम. एस. सी. (कीट विज्ञान) अथवा एम. एस. सी. (प्राणी शास्त्र), एम. एस. सी. (कीट विज्ञान) को अधिमान दिया जायेगा.	
5	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी/ /संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक	21 वर्ष	30 वर्ष	स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अधिमानता के साथ समाज शास्त्र में एम. ए./ भारतीय जन संचार संस्थान से पत्रकारिता में डिप्लोमा.	
6	प्रबंध अनुदेशक	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन/व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि, अध्यापन तथा पर्यवेक्षी कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा.	

समूह "ग" परिचर्या सेवायें

अनु क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	28 वर्ष	40 वर्ष	बी. एस. सी. (परिचर्या) अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रमाण-पत्र परिचर्या सेवा में का दस वर्ष का अनुभव.	

टीप :— उन पदों, जिनके लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित है उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक-सी-3-5-2001-3-1, दिनांक 17 अगस्त, 2004 के अनुसार मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों/महिलाओं तथा विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिलाओं को सरकार द्वारा प्रदत्त छूट यथावत् रहेगी अर्थात् उन्हें 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अलावा, उपरोक्त छूटों का लाभ पूर्वत् प्राप्त होगा.

अनुसूची—चार

(नियम 13 तथा 14 देखिए)

पदोन्नति के लिये सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

समूह "क" चिकित्सा

अनु क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हों, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/ संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	संचालक	दो वर्ष. कॉलम (2) में दर्शित पदों पर समुचित अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर ये पद ऐसे संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, जिनकी पांच वर्ष की सेवावधि पूर्ण हो चुकी है, की पदोन्नति से भरे जा सकते हैं.	1. मुख्य सचिव-अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत शासन का प्रमुख सचिव-सदस्य. 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 4. अपर सचिव/उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-संयोजक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (संभागीय कार्यालय तथा मुख्यालय).	संचालक, राज्य प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान, ग्वालियर/क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक, राज्य रक्ताधान परिषद्/अतिरिक्त संचालक, राज्य एड्स प्रकोष्ठ.	तीन वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल.	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	तीन वर्ष	-तदैव-
4	जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार कल्याण अधिकारी/प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/जिला टीकाकरण अधिकारी/सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय)/अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/अधीक्षक, रानी दुर्गावती चिकित्सालय, जबलपुर/अधीक्षक, कैलाश नाथ काटजू चिकित्सालय, भोपाल. (25 प्रतिशत पद विशेषज्ञ की पदोन्नति से. शेष 75 प्रतिशत पद अनुक्रमांक 4 के कॉलम (2) में दर्शित अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से)	तीन वर्ष	-तदैव-
5	चिकित्सा अधिकारी	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-1	कुष्ठ कार्य में 6 वर्ष का अनुभव	-तदैव-
6	चिकित्सा अधिकारी	जिला टीकाकरण अधिकारी	शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में स्नातकोत्तर उपाधि के उपरांत पांच वर्ष अथवा शिशु रोग विज्ञान या प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन में डिप्लोमा के बाद सात वर्ष का अनुभव.	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	चिकित्सा अधिकारी	जिला स्वास्थ्य अधिकारी/जिला परिवार कल्याण अधिकारी / प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी / जिला स्वास्थ्य एवं महामारी नियंत्रण अधिकारी/ सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय).	दस वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य
8	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/संचालक, क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल.	वक्ष रोग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा क्षय रोग तथा वक्ष रोग में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव.	-तदैव-
9	चिकित्सा अधिकारी	विशेषज्ञ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद चिकित्सा अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव.	-तदैव-
10	दन्त शल्य चिकित्सक	दन्त चिकित्सा विशेषज्ञ	स्नातकोत्तर उपाधि (एम. डी. एस.) प्राप्त करने के बाद दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव अथवा दन्त शल्य चिकित्सक के रूप में दस वर्ष का अनुभव.	-तदैव-

समूह "ख" गैर चिकित्सीय

अनु क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हों, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप संचालक, (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क, शिक्षा तथा माध्यम).	तीन वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य.
2	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य)/उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/उप संचालक (जनसांख्यिकी)	संयुक्त संचालक (योजना एवं प्रबंधन)	तीन वर्ष	-तदैव-
3	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक.	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	तीन वर्ष	-तदैव-
4	सांख्यिकी अधिकारी	उप संचालक (योजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग)/उप संचालक (जनसांख्यिकी).	तीन वर्ष	-तदैव-
5	प्रशासकीय अधिकारी/लेखा अधिकारी/भण्डार अधिकारी.	उप संचालक (स्थापना तथा प्रशासन)/उप संचालक (शिकायत तथा विभागीय जांच)/उप संचालक (विधि तथा विधिक कार्य).	तीन वर्ष	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	जिला मलेरिया अधिकारी/ जीव-शास्त्री/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया-फाईलेरिया).	कीट विज्ञानी	पांच वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम- निर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं- सदस्य। -तदैव-
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा).	सांख्यिकी अधिकारी	पांच वर्ष	-तदैव-
8	भण्डार निरीक्षण अधिकारी/ अधीक्षक/कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय)/सहायक अधीक्षक/सहायक ग्रेड-1 (संचालनालय)/वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय)/कनिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय)/प्रबन्धक, चिकित्सा भण्डार/ केम्प-समन्वयक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ वरिष्ठ निज सहायक (तृतीय श्रेणी सेवा).	प्रशासकीय अधिकारी/ वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी/भण्डार अधिकारी.	1. भण्डार निरीक्षण अधिकारी/अधीक्षक/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर तीन वर्ष का अनुभव. 2. सहायक अधीक्षक/ वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय)/ सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव. 3. सहायक ग्रेड-1 /वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय)/प्रबंधक चिकित्सा भण्डार/ कनिष्ठ लेखा परीक्षक (संचालनालय)/ केम्प-समन्वयक के पद पर सात वर्ष का अनुभव. टीप.— प्रशासकीय अधिकारी के 5 पद सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे तथा 1 पद वरिष्ठ निज सहायक के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा.	-तदैव-
9	सहायक मलेरिया अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा).	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव शास्त्री / सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया- फाईलेरिया).	तीन वर्ष (विज्ञान में स्नातक)	-तदैव-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	(1) उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी /उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय). (2) सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक टीप.—जिला विस्तार एवं माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/समाज विज्ञान अनुदेशक के 5 पद ऐसे सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की पदोन्नति से भरे जावेंगे जो समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि-धारी हैं.	तीन वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य.
11	प्रचार सहायक/उप संपादक (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्रचार अधिकारी/संपादक	तीन वर्ष	-तदैव-
12	उप यंत्री (यांत्रिकी) (तृतीय श्रेणी सेवा)	सहायक यंत्री (परिवहन)/ सहायक यंत्री (भण्डार)	पांच वर्ष	-तदैव-
13	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी सेवा)	समाज विज्ञानी	पांच वर्ष	-तदैव-
14	शारीरिक चिकित्सा तकनीशियन (तृतीय श्रेणी सेवा)	शारीरिक चिकित्साविद्	पांच वर्ष	-तदैव-
15	खण्ड विस्तार शिक्षक/स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा)/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय).	छह वर्ष	-तदैव-
16	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	तीन वर्ष	-तदैव-

समूह "ग" परिचर्या सेवाएं

अनु- क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम, जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जाना है	उस पद के लिये जिससे कि पदोन्नति की जाना है, अनिवार्य अर्हताएं, यदि कोई हों तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक/ प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या)/ प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	1. उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या) के पद के लिये कॉलम (2) में दर्शाए गये किसी भी पद पर पांच वर्ष का अनुभव. प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन के पद के लिये उपरोक्त के अतिरिक्त बी. एस. सी. (परिचर्या) की उपाधि परिचर्या में स्नातकोत्तर उपाधिधारी को अधिमान दिया जावेगा.	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य- अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग-सदस्य. 3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं-सदस्य.
2.	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/परिचर्या अधीक्षक- ग्रेड-2/प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला.	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	1. बी. एस. सी. (परिचर्या) अथवा लोक स्वास्थ्य (परिचर्या) डिप्लोमा तथा पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव.	-तदैव-
3.	(क) वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर/प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला (द्वितीय श्रेणी सेवा) (ख) लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) / सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स/ लोक स्वास्थ्य नर्स अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य नर्स शिक्षक.	1. बी. एस. सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा. 2. वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर /प्राचार्य प्रोन्नत शाला, जबलपुर/प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला के पद पर दो वर्ष का अनुभव. 3. लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर)/सिस्टर ट्यूटर के पद के लिए पांच वर्ष का अनुभव.	-तदैव-
4.	सिस्टर ट्यूटर/लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) (तृतीय श्रेणी सेवा)	प्राचार्य, एल. एच. व्ही. प्रशिक्षण शाला, जबलपुर/प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला.	तीन वर्ष का अनुभव. केवल वे लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर)/सिस्टर ट्यूटर, पात्र होगी जो बी. एस. सी. (परिचर्या) उपाधि अथवा लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या प्रशासन में डिप्लोमा धारण करती हो.	-तदैव-
5.	मेट्रन	परिचर्या अधीक्षक- ग्रेड-दो	तीन वर्ष	-तदैव-
6.	सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी सेवा)	वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर	पांच वर्ष	-तदैव-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2008

क्र. एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि.-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1-85-2005-सत्रह-मेडि.-एक, दिनांक 27 मार्च 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2008

No. F-1-85-2005-XVII-Med.I.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the Members of the Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Appointing authority" in respect of the service or a post means the Government;
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;
- (c) "Commissioner" means the Commissioner, Health Service, Madhya Pradesh;
- (d) "Committee" means the Selection Committee/Departmental Promotion Committee/Screening Committee;
- (e) "Examination" means a competitive Examination for recruitment to the Service held under Rule 11 of these rules;
- (f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification No. 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (i) "Schedule" means Schedule appended to these rules;
- (j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (k) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;
- (l) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service;
- (m) "State" means the State of Madhya Pradesh;

3. Scope and Application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service as mentioned in Schedule-I.

4. Constitution of the Service.—The Service shall consist of the following persons, namely:—

- (1) Persons, who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules, and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules;

5. Classification, Scale of Pay etc.—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the services shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent basis or temporary basis.

6. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

- (a) By direct recruitment, by selection or competitive examination or by both;
- (b) By promotion of the members of the service specified in column (2) of Schedule-IV; and
- (c) By transfer or deputation of the persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage as shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of the filling any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf prescribed.

7. Appointment to the Service.—All the appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for the direct recruitment.—In order to be eligible for selection/examination a candidate must satisfy the following conditions namely:—

- (1) **Age**—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

- (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

- (i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age;
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This Concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work-charged employees and employees working in the project implementation committee;
- (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term “retrenchment Government servant” denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (d) A candidate who is an ex-service man shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him: Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation .—The term “Ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unity or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service:—

- (1) Ex-service man released under mustering out concessions.
- (2) Ex-service man enrolled for the second time and discharged on—
 - (a) Completion of short-term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Ex-personal of Madras Civil unit.
- (4) Officers (Military and Civil) discharge on completion of their contract (including short service regular commissioned officers).
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.
- (6) Ex-serviceman invalidated out of service.
- (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.
- (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.
- (e) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum of ten years to a women candidate in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for the Appointment for the Women) Rules, 1997;

- (f) the upper age limit shall be relaxable up to a five years in respect of the widow, destitute and divorce women candidate;
- (g) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of two years for those candidates, who are holding green card under the Family Welfare Programme;
- (h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste-marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Caste and Backward Class Welfare Department;
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Awards holder candidates;
- (j) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates, who are employees of the Madhya Pradesh State Corporations/Boards;
- (k) The upper age limit shall be relaxable for voluntary Home Guards and non-commissioned officers of Home Guards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.
- (l) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time.

Note.—Candidates, who are found eligible for examination/selection under the age-concessions mentioned in the rule 8(i) sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination/selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall be relaxed.

(2) **Educational Qualifications .**—The candidate must have posses the Educational Qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

Provided that—

- (a) In exceptional cases the Commission, in consultation with the Government, may treat as qualified any candidate, who thought not possessing any of the qualifications prescribed in these rules but has passed examination conducted by other institutions/universities by such a standard for which the Commission considers the candidate eligible to appear in the examination/selection; and
- (b) Candidated who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities being Universities not specifically recognized by the Government may also be considered for appearing the examination/selection at the discretion of the Commission.

(3) **Fees .**—The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.**—(i) Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(ii) In accordance with the provisions of Rules 5 of the Madhya Pradesh Civil Service (General conditions of service) Rule, 1961, no candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(iii) A candidate shall not be eligible for any other service or post has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after the 26th January 2001 in which two or more than two children are born.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final .**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to appear in the interview/examination.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection:—**

- (A) **Direct recruitment by competitive examination—**(1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Government may in consultation with Commission, determine from time to time.
- (2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government, may from time to time issued in consultation with the Commission.
- (3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyan, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time;
- (4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their name appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (6) There shall be reserved post for the women candidates, in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Special provisions for appointment of women) Rules, 1997.
- (7) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the direction of the General Administration Department.
- (8) There shall be reserved posts for Ex-serviceman in accordance with the directions of the General Administration Department.
- (9) In such cases, where experience of some period has been prescribed as essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Commission that sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the Commission may relax such conditions of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.
- (10) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and vacancies, as the case may be, shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for the next selection.

(B) **Direct recruitment by selection.**—(1) The selection for appointment on the post to the service shall be held at such intervals, as the Government may, in consultation with the Commission determine from time to time.

(2) The selection of candidates on the post to the service shall be made by the Commission after interview.

12. List of candidates recommended by the commission.—(1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard, as determined by the Commission and a list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Commission to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue.

13. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. Appointment by promotion.—(1) There shall be constituted a committee consisting of members as mentioned in Schedule-IV, for making a selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominating members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee/ Screening Committee in respects of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee/Screening Committee and the numbers of the members of Departmental Promotion Committee/Screening Committee shall be extended to that limit.

(2) the promotion of members of the service specified in column (2) of Schedule IV to the posts as specified in column (3) thereof the eligibility of candidate, selection process reservation in promotion and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in the Madhya Pradesh Public Service (promotion) Rules, 2002.

(3) **Certification by the Appointing Authority**—Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he has complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatian, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakahan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the rules by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

(4) The Departmental Promotion Committee/Screening Committee shall meet at such intervals, as the Appointing Authority may direct but ordinarily not exceeding one year.

15. Conditions of eligibility for promotion.—(1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of the years of service (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).

Explanation—(1) manner of the computation of the eligibility for promotion—Period of qualifying service on 1st January, of the relevant year, in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year, in which the public servant has joined the feeder-cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) For the zone of the consideration for the promotion the provisions of the Madhya Pradesh Public Services (Promotion) Rules, 2002 shall apply.

(3) No person shall be considered for the first promotion unless he has completed two years of service in the Scheduled area:

Provided that the non-posting of a person in the Scheduled area shall not operate as disqualification for his promotion.

Note.—(1) Period spent on training and probation in the Scheduled area shall be treated as service for the purpose of clause (3) above.

(2) The condition specified in clause (3) above shall not apply in the case of further promotions of persons who were promoted prior to enforcement of the said conditions.

16. Preparation of the list of the suitable candidates.—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of the two public servants or 25 percent number of persons, whichever is more, included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria of preparation for select list shall be as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list. Whenever promotion is to be made on the basis of merit cum seniority the select list shall be prepared as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

Explanation—A person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) the list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the Committee shall record its reasons for the proposed suppression.

17. Consultation with the commission—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the chairman or a member of the Commission shall be deemed to be in compliance of the requirement of consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be required.

18. Select list—(1) Government shall consider the list prepared by the committee along with the other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Government considers it necessary to make any change in the list received from the committee he shall inform the Committee at the change proposed and after taking in to account the comments, if any of the committee, may approve the list finally with such modification if any, as may in its opinion just and proper.

(3) The list as finally approved by the Government shall form select list for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule IV to the posts shown in column (3) of the said Schedule.

(4) The select list shall ordinarily be in force for a period of one year until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave laps in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Committee may, if deems fit, remove the name of such persons from the select list.

19. Appointment to the service from the select list.—(1) Appointments of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the name of such persons appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult Commission before the appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointments there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. Trial period.—Every person appointed to the service by promotion shall be appointed on trial for a period of two years.

21. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

22. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person, to whom these rules shall apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to the person than that provided in these rules.

23. Saving.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

24. Repeal.—The Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988 is hereby stand repealed :

Provide that any order made or any action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See Rules 5)

Classification, Pay Scale, Number of Posts Included in Service

Group A—Medical

Sr. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Director	4	Class-I	18400—500—22400	-
2	Director, State Training and Management Institute Gwalior/Regional Director, Health Service/Director State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Cell.	10	—do—	16400—450—20000	-
3	Director, State Health & Information. Education and Communication Bureau	1	—do—	14300—400—18300	-
4	Joint Director, Health Services (Divisional Offices 07/Head Quarter 06).	13	—do—	12000—375—16500	-
5	Chief Medical & Health Officer (48)/ Deputy Director, Health Services/ (Divisional Office (21)/Head Quarter (09)/ Principal, Regional, Health and Family Planning Training Centre (03)/ Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur (01)/Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal (01).	83	—do—	10650—325—15850	-
6	Leprosy Officer Grade-1	7	—do—	10650—325—15850	-
7	District Immunisation Officer	48	—do—	10000—325—15200	-
8	District Health Officer (48)/District Family Planning Officer (48)/Chief Block Medical Officer (313)/District Health and Epidemic Control Officer (20)/Assistant Director, Health Services (Head Quarter 06).	435	—do—	10000—325—15200	-
9	Superintendent T.B. Hospital (07)/Director T. B. Demonstration and Training Centre, Bhopal (01).	8	—do—	10000—325—15200	-
10	Specialist	1970	—do—		On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale, 6 years service in senior grade scale & 6 year service in selection grade scale eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection into senior and selection pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	1182	—do—	10000—325—15200	
	(b) Senior Grade Scale 23%	453	—do—	12000—375—16500	
	(c) Selection Grade Scale 15%	295	—do—	14300—400—18300	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2%	40	—do—	16400—450—20000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Dental Specialist .	06	Class-I		On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale and 4 years service in senior grade scale eligible for senior grade scale and selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection senior and selection Grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	4	—do—	10000—325—15200	
	(b) Senior Grade Scale 25%	1	—do—	12000—375—16500	
	(c) Selection Grade Scale 15%	1	—do—	14300—400—18300	
12	Medial Officer	3520			On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale, 4 years service in senior grade scale & 6 years service in selection grade scale eligible for senior grade scale, selection grade scale, senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection, senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	2112	Class-II	8000—275—13500	
	(b) Senior Grade Scale 23%	810	Class-I	10000—325—15200	
	(c) Selection Grade Scale 15%	528	Class-I	12000—375—16500	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2%	70	Class-I	14300—400—18300	
13	Dental Surgeon	137			On recommendation of Screening Committee after 6 Years service in Junior grade scale and 4 years service in senior grade scale eligible for senior grade scale and selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties on selection into senior and selection grade pay scales and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(a) Junior Grade Scale 60%	83	Class-II	8000—275—13500	
	(b) Senior Grade Scale 25%	34	Class-I	10000—325—15200	
	(c) Selection Grade Scale 15%	20	Class-I	12000—375—16500	

Group-B—Non Medical

S.No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Joint Director (Mass Education and Media)	1	Class-I	12000—375—16500
2	Joint Director (Planning and Management)	1	—do—	12000—375—16500
3	Deputy Director (Health Education Bureau)	1	—do—	10000—325—15200
4	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/Deputy director (Demography).	2	—do—	10000—325—15200
5	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/Deputy Director (Law and Legal works).	3	—do—	10000—325—15200
6	Entomologist	1	—do—	10000—325—15200
7	Executive Engineer (Transport)	1	—do—	10000—325—15200
8	Statistical Officer	7	Class-II	8000—275—13500
9	Finance Officer/Accounts Officer/Store Officer	3	—do—	8000—275—13500
10	Administrative Officer	54	—do—	8000—275—13500
11	Accounts Officer (Head Quarter 01/ Divisional Office-07).	8	—do—	8000—275—13500
12	Cold Chain Officer	1	—do—	8000—275—13500
13	District Malaria Officer/Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	45	—do—	8000—275—13500
14	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/Communication Officer/ Health Education Officer/Health Education Instructor/Social Science Instructor.	52	—do—	8000—275—13500
15	Publicity Officer/Editor	1	—do—	6500—200—10500
16	Assistant Engineer (Transport)/Assistant Engineer (Store).	6	—do—	6500—200—10500
17	Social Scientist	1	—do—	6500—200—10500
18	Management Instructor	3	—do—	8000—275—13500
19	Sanitary Engineer	4	—do—	8000—275—13500
20	Physiotherapist	2	—do—	6500—200—10500
21	Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination)/Deputy district Extension and Media Officer (health Education)/Deputy district extension and Media Officer.	78	—do—	5500—175—9000
22	Senior Sanitary Officer	1	—do—	5500—175—9000

Group 'C'—Nursing Services

S. No.	Name of Posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputy Director Health Services (Nursing)	1	Class-I	10000—325—15200
2	Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain.	1	—do—	10000—325—15200
3	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public Health Nurse/Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator.	82	Class-II	8000—275—13500
4	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	1	—do—	8000—275—13500
5	Principal, L.H.V. Training School, Jabalpur/ Principal, Female Training Schools/Senior Sister Tutor.	30	—do—	6500—200—10500
6	Nursing Superintendent Grade-II	13	—do—	6500—200—10500

SCHEDULE-II

(See Rule-6)

Method of Recruitment**Group 'A'—Medical**

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By Promotion [See Rule 6(1)(b)]	by Transfer of persons from other services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Director	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	4	-	100%	-	
2	Director, State Training and Management Institute, Gwalior/Regional Director, Health Services/ Director, State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Cell.	—do—	10	-	100%	-	
3	Director, State Health & Information Education and Communication Bureau, Bhopal.	—do—	1	-	100%	-	
4	Joint Director, Health Services	—do—	13	-	100%	-	
5	Chief Medical & Health Officer/ Deputy Director, Health Services/ (Head Quarter and Divisional Office/Principal Regional, Health and Family Planning Training Centre/ Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur/Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal.	—do—	83	-	100%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Leprosy Officer Grade-I	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	7	-	100%	-	
7	District Immunisation Officer.	—do—	48	-	100%	-	
8	District Health Officer/ District Family Planning Officer/Chief Block Medical Officer/District Health and Epidemic Control Officer/Assistant Director, Health Services (Head Quarter).	—do—	435	-	100%	-	
9	Superintendent T.B. Hospital/Director T.B. Demonstration and Training Centre, Bhopal	—do—	8	-	100%	-	
10	Specialist	—do—	1970	-	100%	-	
11	Dental Specialist	—do—	6	-	100%	-	
12	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-II.	3520	-	100%	-	
13	Dental Surgeon	—do—	137	-	100%	-	

Group 'B'—Non Medical

S. No.	Name of Post	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By Promotion [See Rule 6(1)(b)]	By Transfer of persons from other Services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Joint Director (Mass Education and Media).	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	1	-	100%	-	If suitable candidate not available by promotion then the post can be filled up by the deputation from public relation Department.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Joint Director (Planning and Management).	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	1	-	100%	-	If suitable candidate not available by promotion then the post can be filled up by the deputation from finance Department (Treasury and Accounts Directorate).
3	Deputy director (Health Education Bureau).	—do—	1	-	100%	-	
4	Deputy director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography).	—do—	2	-	100%	-	
5	Deputy Director (Establishment and Administration)/ Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy director (Law and Legal works).	—do—	3	-	100%	-	
6	Entomologist	—do—	1	-	100%	-	
7	Executive Engineer (Transport).	—do—	1	-	-	100%	By transfer from PWD/Water Resources or any other department of the Government who have degree in Mechanical Engineering or diploma in automobile Engineering.
8	Statistical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-II	7	25%	75%	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Finance Officer/ Accounts Officer/ Store Officer.	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted Services Class-II)	3	-	100%	-	
10	Administrative Officer	—do—	54	25%	75%	-	
11	Accounts Officer	—do—	08	-	-	100%	From Madhya Pradesh Finance & Accounts Service Officers
12	Cold Chain Officer	—do—	01	100%	-	-	
13	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria- Falaria)	—do—	45	25%	75%	-	
14	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/Social Science Instructor	—do—	52	20%	80%	-	
15	Publicity Officer/Editor	—do—	01	-	100%	-	
16	Assistant Engineer (Transport)/Assistant Engineer (Store)	—do—	06	-	100%	-	
17	Social Scientist	—do—	01	-	100%	-	
18	Management Instructor	—do—	03	100%	-	-	
19	Sanitary Engineer	—do—	04	-	-	100%	
20	Physiotherapist	—do—	02	-	100%	-	
21	Deputy District Extension and Media Officer (Co- ordination)/Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media Officer.	—do—	78	-	100%	-	
22	Senior Sanitary Officer	—do—	01	-	100%	-	

Group 'C'—Nursing Service

S. No.	Name of Post	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remark
				By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By Promotion [See Rule 6(1)(b)]	By Transfer of persons from other Services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Deputy Director Health Services (Nursing)	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-I.	01	-	100%	-	
2	Principal, Regional Public Health Teacher Training Institute, Ujjain.	—do—	01	-	100%	-	
3	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public Health Nurse/Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator.	—do—	82	25%	75%	-	
4	Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services Class-II	01	-	100%	-	
5	Principal L. H. V. Training School, Jabalpur / Principal Female Training Schools/ Senior Sister Tutor.	—do—	30	-	100%	-	
6	Nursing Superintendent Grade-II	—do—	13	-	100%	-	

SCHEDULE-III

(See Rule-8)

Age and qualification of persons being directly recruited

Group 'A'—Medical

Sr. No.	Name of Post	Manimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Medical Officer	21 Years	32 Years	MBBS or equivalent qualification recognised by Medical Council of India.	
2	Dental Surgeon	21 Years	32 Years	BDS Degree or any equivalent degree from a recognised University.	

Group 'B'—Non Medical

Sr. No.	Name of Post	Manimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Statistical Officer	21 Years	30 Years	M. A. (Statistics) Preferably Ph. D./ with Diploma in Health Statistics.	
2	Administrative Officer.	25 Years	40 Years	Graduate with 5 years Supervisory experience and Accounts trained, Preference will be given to SAS qualified persons.	
3	Cold Chain Officer	21 Years	30 Years	A University Degree in Mechanical or Refregeration Engineering with one year experience or Diploma in Refregeration Engineering in maintainance and operation of Refrigration equipments.	
4	District Malaria Officer/Biologist/ Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	21 Years	30 Years	M. Sc. (Entomology) or M. Sc. (Zoology), Preference will be given to M. Sc. (Entomology).	
5	District Extension and Media Officer/ Exhibition Officer/ Communication Officer/Health Education Officer/ Health Education Instructor/Social Science Instructor.	21 Years	30 Years	M. A. in Sociology with preference for Diploma in Health Education/ Diploma in Journalism from Indian Institute of Mass Communication.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Management Instructor	21 Years	30 Years	Master Degree in Public Administration/ Business Administration from recognised University, Preference will be given to candidates having teaching and supervisory experience.	

Group 'C'—Nursing Services

Sr. No.	Name of Post	Manimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Education Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Public Health Nursing Officer/ District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator.	28 Years	40 Years	B. Sc. Nursing or Certificate in Public Health Nursing from any recognised institution, Ten years experience in Nursing Services.	

Note.—According to General Administration Department's memo No. C-3-5/2001/3/1 dated 17 August, 2004, the upper age limit shall be 35 years for bonafide residents of Madhya Pradesh for those posts for which upper age limit is prescribed 30 years. Concession granted by Government for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other backward classes candidates and women and widow, distitute and divorced women candidates shall be as usual i.e. they shall get concession as usual beyond maximum age limit 35 years.

SCHEDULE-IV*(See Rule-13 and 14)*

SERVICE EXPERIENCE FOR PROMOTION AND MEMBER OF DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE
Group 'A'—Medical

Sr. No.	Name of Post or Service from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Essential qualification, if any, and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Director State Training and Management Institute Gwalior/Regional Director, Health Services/Director State Blood Transfusion Council/Additional director, State Aids Cell.	Director	Two years, In case suitable officers are not available on posts shown in column (2), these post can be filled up by promotion of Joint Directors, Health Services, who have five years experience.	1. Chief Secretary-Chairman 2. A Senior Additional Chief Secretary/Principal Secretary of the Government nominated by the Chief Secretary-Member. 3. Additional Chief Secretary/Principal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Secretary/ Secretary, Public Health and Family Welfare Department -Member.
				4. Additional Secretary/ Deputy Secretary, Public Health and Family Welfare Department -Co-ordinator.
2	Joint Director, Health Services (Divisional Offices & Head Quarter).	Director State Training and Management Institute Gwalior/ Regional Director, Health Service/Director State Blood Transfusion Council/Additional Director, State Aids Cell.	Three years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member. 3. Commissioner, Health Services-Member.
3	Chief Medical & Health Officer/Deputy Director Health Services/Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre/ Superintendent, Rani Durgawati Hospital Jabalpur/Superintendent, Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal.	Joint Director, Health Services.	Three years	—do—
4	District Health Officer/ District Family Welfare Officer/Chief Block Medical Officer/District Health and Epidemic Control Officer/ District Immunization Officer/Assistant Director, Health Services (Head Quarter)/ Superintendent T. B. Hospital/Director T. B. Demonstration and Training Centre, Bhopal.	Chief Medical & Health Officer/Deputy Director Health Services/Principal, Regional Health and Family Welfare Training Centre/Superintendent, Rani Durgawati Hospital, Jabalpur/Superintendent Kailash Nath Katju Hospital, Bhopal (25% Post Promotion from specialist remaining 75% post from persons appointed in posts shown in column No. (2) of Serial No. 4.	Three years	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Medical Officer	Leprosy Officer Grade-I	Six years experience in leprosy work.	—do—
6	Medical Officer	District Immunisation Officer.	Five years experience as Medical Officer after postgraduate degree in Pediatrics or Preventive & Social Medicine or Seven years experience as Medical officer after Postgraduate diploma in Pediatrics or Preventive and Social Medicine.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him-Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member. 3. Commissioner, Health Services-Member
7	Medical Officer	District Health Officer/ District Family Welfare Officer/Chief Block Medical Officer/District Health and Epidemic Control Officer/Assistant Director, Health Services (Head Quarter)	Ten years	—do—
8	Medical Officer	Superintendent, T. B. Hospital/Director, T. B. Demonstration and Training Centre Bhopal.	Five years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate degree in Chest disease or seven years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate diploma in Tuberculosis and chest disease.	—do—
9	Medical Officer	Specialist	Five years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate degree in Speciality or seven years experience as Medical Officer after obtaining postgraduate diploma in speciality from recognised university.	—do—
10	Dental Surgeon	Dental Specialist	Five years experience as Dental Surgeon after obtaining postgraduate Degree (M.D.S.) or ten years experience as Dental Surgeon.	—do—

Group 'B'—Non-Medical

Sr. No.	Name of Post or Service from which promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Essential Qualification, if any and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Deputy Director (Health Education Bureau)	Joint Director (Mass Education and Media)	Three years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him-Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary / Secretary, Public Health and Family Welfare Department-Member 3. Commissioner, Health Services-Member.
2	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works)/Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography).	Joint Director (Planning and Management)	Three years	—do—
3	District Extension and Media Officer/Exhibition Officer/ Communication Officer/ Health Education Officer/ Health Education Instructor/ Social Science Instructor.	Deputy Director Health Services (Health Education Bureau)	Three years	—do—
4	Statistical Officer	Deputy Director (Planning Evaluation and Monitoring)/ Deputy Director (Demography)	Three years	—do—
5	Administrative Officer/ Accounts Officer/Store Officer.	Deputy Director (Establishment and Administration)/Deputy Director (Complaint and Departmental Enquiry)/ Deputy Director (Law and Legal works).	Three years	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	District Malaria Officer/ Biologist/Assistant Entomologist (Malaria- Falaria).	Entomologist	Five years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service commission or member nominated by him- Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary, Public Health and Family Welfare Department- Member 3. Commissioner, Health Services-Member.
7	Assistant Statistical Officer (Class III Service)	Statistical Officer	Five years	—do—
8	Store Inspection officer/ Superintendent/Junior Account Officer/Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Superintendent/ Assistant Grade-I (Directorate)/Senior Auditor (Divisional)/Junior Auditor (Directorate)/Manager, Medical Store/Camp Co- ordinator/Assistant Statical Officer/Senior Personnel Assistant (Class-III Service).	Administrative Officer/ Finance Officer/Accounts Officer/Store officer.	1. Three years experience as Store Inspection Officer / Superintendent/ Junior Accounts Officer. 2. Five years experience as Assistant Superintendent/ Senior Auditor (Directorate)/ Assistant Statical officer. 3. Seven years experience as Assistant Grade-I/ Senior Auditor (Divisional)/ Manager, Medical Store/Junior Auditor (Directorate)/ Camp Co- ordinator. Note.—5 Post of Administrative officer shall be filled by promotion of assistant statical officer and 1 post shall be filled by promotion of senior personnel assistant.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9 Assistant Malaria officer (Class III Service)	Distirct Malaria Officer / Biologist/Assistant Entomologist (Malaria-Falaria).	Three years in (Graduate science)	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service commission or member nominated by him-Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary /Secretary Public Health and Family Welfare Department-Member 3. Commissioner, Health Services-Member.	
10 (1) Deputy District Extension and Media Officer/Deputy District Extension and Media Officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media Officer (Co-ordination).	District Extension and Media Officer/Exhibition Officer/Communication Officer/Health Education Officer/Health Education Instructor/Social Science Instructor. Note.—5 Post of District extension and Media officer/Exhibition officer/ communication officer/ Health Education Officer / Health Education Instructor/Social Science Instructor shall be filled by promotion of Assistant Statical Officer, who hold post graduate degree in sociology.	Three years	—do—	
(2) Assistant Statical Officer.				
11 Publicity Assistant/Sub Editor (Class III Service)	Publicity Officer/Editor	Three years	—do—	
12 Sub Engineer Technical (Class-III)	Assistant Engineer Transport/Assistant Engineer (Stores)	Five years	—do—	
13 Medico Social Worker (Class-III Service)	Social Scientist	Five years	—do—	
14 Physio therapy Technician (Class III Service)	Physio Theropist	Five years	—do—	
15 Block Extension Educator/ Health Education Extension Officer (Class III Service)	Deputy District Extension and Media officer/Deputy District Extension and Media officer (Health Education)/Deputy District Extension and Media officer (co-ordination).	Six years	—do—	
16 Community Health officer (Class III Service)	Senior Sanitary officer	Three years	—do—	

Group-"C" Nursing Services

Sr. No.	Name of post of Service from which promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Essential Qualification, if any, and other experience in the post from which promotion is to be made	Name of Member of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/Public Health Nurse/Public Health Nurse Instructor/Public Health Nurse Educator/ Principal, Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	Deputy Director Health Services (Nursing)/ Principal, Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain.	1. Five Years experience on any of post shown in column (2) for Deputy Director, Health Service (Nursing) 2. For Principal Regional Public Health Teacher's Training Institute, Ujjain in addition to above, degree in B.Sc. (Nursing), Preference will be given to post graduate in Nursing,	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or member nominated by him- Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Public Health and Family Welfare Department- Member 3. Commissioner, Health Services - Member.
2	Senior Sister Tutor/ Nursing Superintendent Grade-2/Principal, L.H.V. Training School, Jabalpur/ Principal, Female Health Worker Training School/.	Principal Public Health Orientation Training Centre, Gwalior.	B.Sc. (Nursing) or Public Health (Nursing) Diploma and Five years teaching experience.	-do-
3	(A) Senior Sister Tutor/ Principal L.H.V. Training school Jabalpur/Principal Female Health Worker Training school (Class II Service). (B) Public Health Tutor/ Sister Tutor (Class III Service).	Public Health Nursing Officer/District Public Health Nurse/ Public Health Nurse/ Public Health Nurse Instructor/ Public Health Nurse Educator.	1. B.Sc. (nursing) degree of Diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration. 2. Two years experience for Senior sister Tutor/Principal Promotee School, Jabalpur/ Principal Female Health Worker Training School. 3. Five year experience for Public Health Tutor/Sister Tutor.	-do-
4	Sister Tutor/Public Health Tutor (Class III Service).	Principal, L.H.V. Training School Jabalpur/Principal, Female Health Worker Training School.	Three Years Experience Only those public Health Tutor/ Sister Tutor will be eligible who have B.Sc. (Nursing) degree or diploma in Public Health or Nursing Education or Nursing Administration.	-do-
5	Matron	Nursing Superintendent Grade-2	Three years	-do-
6	Sister Tutor (Class III Service)	Senior Sister Tutor	Five Years	-do-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
C.B. SINGH, Dy. Secy.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जनवरी—माघ 10, शक 1929

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2008

क्र. एफ. 1-26-2007-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक में शीर्ष समूह "क" चिकित्सा के अधीन अनुक्रमांक 7 एवं 10 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :—

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	विशेषज्ञ	कुल पद 1970	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा		(1) छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमशः 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे, किन्तु वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी
	(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 60%	1182	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 23%	453	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे.	
(ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 15%	295	—तदैव—	14300—400—18300		
(घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 2%	40*	—तदैव—	16400—450—20000	(2) *वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के 40 पदों में क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाओं के 7 पद भी सम्मिलित हैं.	

10	चिकित्सा अधिकारी	कुल पद 3520	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा	छानबीन समिति की अनुशंसा पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा, वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर क्रमशः वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के लिये पात्र होंगे. वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे पूर्वानुसार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे.
(क) कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 60%	2112	द्वितीय श्रेणी	8000—275—13500	
(ख) वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 23%	810	प्रथम श्रेणी	10000—325—15200	
(ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 15%	528	प्रथम श्रेणी	12000—375—16500	
(घ) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान कुल पदों का 2%	70	प्रथम श्रेणी	14300—400—18300	

(2) अनुसूची-दो में शीर्ष समूह "क" चिकित्सा के अधीन अनुक्रमांक 7 तथा 10 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जायें, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	विशेषज्ञ	—तदैव—	1970	—	100%	—	—
10	चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा द्वितीय श्रेणी.	3520	100%	—	—	—

No. F. 1-26-2007-XVII-Med-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

(1) Schedule-I under heading Group 'A' Medical for serial number 7 and 10, the following serial numbers and entries relating there to shall be substituted, namely;—

Sr. No.	Name of posts included in service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Specialist	Total Post 1970	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare Services.		(1) On recommendation of Screening Committee, after completing 6 years service in Junior grade scale, senior grade scale and selection grade scale eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(a) Junior Grade Scale 60% of total posts	1182	Class-I	10000—325—15200	
	(b) Senior Grade Scale 23% of total Posts	453	—do—	12000—375—16500	
	(c) Selection Grade Scale 15% of total posts	295	—do—	14300—400—18300	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2% of total posts	40*	—do—	16400—450—20000	(2) *7 post of regional Director are also included in 40 posts of Senior selection Grade.
10	Medical Officer	Total post 3520			On recommendation of Screening Committee after completing 6 years service in Junior grade scale, 6 years in senior grade scale and 6 years service in selection grade scale eligible for senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale respectively but there shall be no change in their duties in senior grade scale, selection grade scale and senior selection grade scale and they shall continue to perform emergency duties as well.
	(a) Junior Grade Scale 60% of total posts	2112	Class-II	8000—275—13500	
	(b) Senior Grade Scale 23% of total Posts	810	Class-I	10000—325—15200	
	(c) Selection Grade Scale 15% of total posts	528	Class-I	12000—375—16500	
	(d) Senior Selection Grade Scale 2% of total posts	70	Class-I	14300—400—18300	

(2) In Schedule-II under heading Group 'A' Medical for serial number 7 and 10 the following serial numbers and entries relating there to shall be substituted respectively, namely:—

Sr. No.	Name of Post	Name of Service	Total No. of Duty Post	Percentage of the Number of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment [See Rule 6(1)(a)]	By Promotion [See Rule 6(1)(b)]	By Transfer of persons from other services [See Rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	Specialist	—do—	1970	—	100%	—	—
10	Medical Officer	Madhya Pradesh Public Health and Family Welfare (Gazetted) Services—Class-II.	3520	100%	—	—	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, उपसचिव.

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 1993

क्र. एफ. 1-18-93-समूह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राजपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में—

- (1) अनुसूची-एक में शीर्ष समूह "क" चिकित्सा के अधीन, क्रमांक 10 के स्थान पर, निम्नलिखित क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाय, अर्थात् :-

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	सहायक सर्जन		मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा		

(क) कनिष्ठ वेतनमान 60%	3720	द्वितीय श्रेणी	रु. 2200-4000
(ख) वरिष्ठ वेतनमान 25%	1547	प्रथम श्रेणी	रु. 3000-4500
(ग) प्रवर श्रेणी वेतनमान 15%	928	प्रथम श्रेणी	रु. 3700-5000

इनमें सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी तथा स्प्रेडिंग चिकित्सालयों के सहायक अधीक्षकों के 193 पद फाइलेरिया चिकित्सा अधिकारी के 4 पद और महामारी विज्ञानी के 4 पद सम्मिलित हैं जो संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा भरे जाएंगे। कनिष्ठ, वरिष्ठ या प्रवर श्रेणी चिकित्सा अधिकारी छानबीन समिति की सिफारिश पर तथा कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वेतनमान में क्रमशः 6 और 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर वरिष्ठ तथा प्रवर श्रेणी पद के हकदार होंगे। किन्तु वरिष्ठ तथा प्रवर श्रेणी वेतनमान में चयन होने पर उनके कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा वे उसी प्रकार आपात कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

- (2) अनुसूची-दो में शीर्ष समूह "क" (चिकित्सा) के अधीन अनुक्रमांक 3, 7 तथा 10 के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां क्रमशः स्थापित की जायें, अर्थात्:-

अनुक्रमांकपद का नाम		सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	सीधी भरती	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	(8)
3.	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय तथा मलेरिया) अधीक्षक, लेडी एलगिन चिकि., जबलपुर/अधीक्षक, के. एन. के. चिकित्सालय/ मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी.	-तदैव-	72		100%		
7.	विशेषज्ञ	-तदैव-	787		100%		
10.	सहायक सर्जन	द्वितीय श्रेणी	3720		100%		

(3) अनुसूची तीन में,-

- (क) क्रमांक 1 तथा 2 का, उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के साथ लोप किया जाये.

- (ख) क्रमांक 5 में, कालम (2) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाये, अर्थात् :-

"सहायक सर्जन"

- (4) अनुसूची-चार में, में शीर्ष समूह "क" चिकित्सा के अधीन क्रमांक 4 तथा 5 में, क्रमशः कालम (2) तथा (3) में, शब्द "महामारी विज्ञानी" का लोप किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ब्रज नारायण सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 1993

क्र. एफ. 1-18-93-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-18-93-सत्रह-मेडि-1, दिनांक 15 सितम्बर 1993 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रज नारायण सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 1993

No.F-1-18-93-XVII-Med-I.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1988, namely :—

AMENDMENT

In the said rules—

(1) In Schedule I under heading Group 'A' (Medical) for serial number 10, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of posts included in Service	No. of posts	Classification	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Assistant Surgeon		Madhya Pradesh Public Health & Family Welfare Services		
	(a) Junior Scale 60%	3720	Class II	Rs. 2200—4000	Includes 193 posts of general duty Medical Officers and Assistant Superintendent spreading hospital, 4 posts of Filaria Medical Officer and 4 posts of Epidemiologist, which are to be filled up by transfer from the cadre. Junior, Senior or Selection Grade Medical Officer shall be entitled for Senior and Selection grades on recommendation of Screening Committee and on completion of 6 and 4 years' service on Junior and Senior scale posts respectively. But there shall be no change in their duties on selection into Senior and Selection grade pay scales, and they shall continue to perform emergency duties, as well.
	(b) Senior Scale 25%	1547	Class I	Rs. 3000—4500	
	(c) Selection Grade Scale 15%	928	Class I	Rs. 3700—5000	

(2) In Schedule II under heading Group 'A' (Medical), for serial numbers 3, 7 and 10 the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted respectively, namely :—

S. No.	Name of post	Name of Service	Total No. of duty post	Percentage of the No. of duty post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment	By Promotion	By Transfer of person from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Deputy Director Health Services (Headquarters and Malaria) Superintendent, Lady Elgin Hospital, Jabalpur/ Superintendent, K. N. K. Hospital/Chief Medical and Health Officer.	—do—	72	..	100%
7	Specialist	—do—	787	..	100%
10	Assistant Surgeon	Class II	3720	100%

(3) In Schedule III—

(a) Serial numbers 1 and 2 together with entries relating thereto shall be omitted.

(b) In serial number 5 in column (2), for the existing entries, the following entry shall be substituted, namely:—

'Assistant Surgeon'.

(4) In Schedule IV under heading Group 'A' (Medical) in serial numbers 4 and 5, in columns (2) and (3) respectively, the word 'Epidemiologist' shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. N. SINGH, Dy. Secy.

छाक-न्यप की पूर्व-अदायगी के बिना छाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत: अनुमति-पत्र क. भोपाल-५०५/डब्ल्यू.सी.



पंजीकृत: भोपाल स्थिति: १२२ (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 179

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अप्रैल 1988—वैशाख 10, शके, 1910

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 1988

क. 2081-2928-सत्रह-मोड.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा में भरती के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 है।

2. परिभाषाएँ.—इन नियमों में, जहाँ तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है सरकार ;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है प्रतियोगी परीक्षा जोकि सेवा में भरती के लिये इन नियमों के नियम 11 के अधीन ली जाती हो ;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(ङ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(च) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में उस रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा ;

3. विस्तार तथा लागू होना.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भरती किए गए हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किए गए हों।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, तथा उसके पदों का वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगा।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से वृद्धि कर सकती या कमी कर सकती।

abhe

6. भरती का तरीका.—(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती द्वारा ;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद धारण किए हों, जोकि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, भरती की किसी भी विशेष कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो, तो सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भरती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकती, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के बाद ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—चयन किए जाने/ परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(एक) आयु.—(क) उसने चयन/ परीक्षा प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को जैसी कि अनुसूची तीन के कालम (3) में विहित की गई है आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु ऐसी आयु प्राप्त न की हो जैसी कि अनुसूची तीन के कालम (4) में दर्शाई गई है ;

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में भी नीचे दी गई सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए छूट दी जाएगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये. यह रियायत कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी स्वीकार्य होगी.

(दो) ऐसे अभ्यर्थी को जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद “छटनी किये गये सरकारी सेवक” से है जो इस राज्य या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छह मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रशिक्षण सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा किन्तु उसके परिणाम-स्वरूप आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की अवधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो. तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने

की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से मगी धिए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(दो) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जो दूसरी बार भरती किया गया हो और (क) अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती संबंधी शर्तों के पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी.

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जो उनकी संविदा के पूरी होने पर सेवामुक्त किए गए हों (जिसमें कल्याण सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं).

(पांच) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो.

(छह) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक बनने योग्य नहीं रहे.

(आठ) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसको गोली लगने से घाव हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(घ) विधवा अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष होगी ;

(ङ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(च) आदिम जाति, हरिजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(छ) "चिक्रम पुरस्कार" धारण करने वाले खिलाड़ी अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(ज) मध्यप्रदेश राज्य निगमों/मण्डलों के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ;

(झ) उच्चतर आयु सीमा में स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमीशन अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा दी गई सेवा की कालावधि तक जोकि 8 वर्ष की सीमा के अधधीन होगी, छूट दी जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी.—एसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन के योग्य माना गया हो, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे जबकि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् चयन के पहले अथवा बाद में वे सेवा से त्याग पत्र दे दें. तथापि वह पात्र बने रहेंगे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा से अथवा पद से उन्हें छटनी किया गया हो.

(2) शैक्षणिक अर्हताएं.—उसके पास विहित की गई ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो कि सेवा के लिए अनुसूची तीन में दर्शाई गई हैं :

परन्तु :—

(क) आपवादिक मामलों में आयोग, सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा, संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को चयन के लिए पात्र ठहराता हों ; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को, जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, डिग्री प्राप्त की है, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश के लिए भी विचार किया जा सकेगा.

(3) फीस.—उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरहता.**—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से सगर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा चयन/परीक्षा में प्रवेश के लिए निरहता के रूप में ठहराया जा सकता है.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का विनिश्चयन अंतिम होगा.**—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु ग्राह्य किए जाने के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा साक्षात्कार/परीक्षा हेतु ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

11. **चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती.**—(1) सेवा में भरती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जाएगी जो कि सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, जारी करे.

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत रिक्तियां उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी जो क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य ह.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को, जो प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किए जाएं गथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उक्त नियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से इन अभ्यर्थियों के लिए दो बार पुनः विज्ञापित की जाएंगी. यदि पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी कोई रिक्तियां भरी जाने से रह जाएं तो वे सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी तथा आगामी चयन के समय गथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी जाएंगी :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या अप्रतीत (फॉरवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

चयन द्वारा सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अंतरालों में किया जाएगा, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे.

(2) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार लेने के पश्चात् किया जाएगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से, जैसा कि आयोग अवधारित करे, अह हों, जो यद्यपि उस स्तर से अहित न हों, फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य घोषित किए गए हों, अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अर्पित करेगा. सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित किया जाएगा.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उस क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आये ह.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त ह.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे.

(2) समिति सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक के अन्तरालों में अपनी बैठक करेगी.

(3) ऐसे पदों में पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों का, जिनमें पदोन्नति की प्रतिशतता 33 $\frac{1}{3}$ या उससे अधिक हो, जैसा कि अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट किया गया है, 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेगा, जो नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हों.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थापना रूप में या मूल रूप में) जो कि अनुसूची चार के कालम (4) में वर्णित है, उन पदों पर जो कि उक्त अनुसूची के कालम (2) में वर्णित है, या राज्य सरकार द्वारा उनके समकक्ष घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हों और उसमें वर्णित शर्तें पूरी कर ली हों तथा जो उपनियम (2) के अनुसार विचारण के क्षेत्र (वीन आफ कन्सीडरेशन) के भीतर आते हों :

परन्तु आपातकालीन कमीशन तथा अलकालीन सेवा कमीशन से नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवा की गणना, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख से उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक 2266-1987-एक (3) 67, तारीख 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया था :

परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर प्रवर श्रेणी पदोन्नति के लिए योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विरिद्ध सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) चयन—क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः पांच गुना तक सीमित होगा यदि पदोन्नति "वरिष्ठता तथा योग्यता" के आधार पर की जाए और वह (चयन क्षेत्र) चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के साधारणतः सात गुना तक सीमित होगा यदि पदोन्नति "योग्यता तथा वरिष्ठता" के आधार पर की जाए:

परन्तु इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में यदि अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों तो उस क्षेत्र को उस सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा जो समिति द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक समझी जाए.

(3) किसी भी व्यक्ति का प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अनुसूचित क्षेत्र में दो वर्षों की सेवा पूर्ण न की हो :

परन्तु किसी व्यक्ति की अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापना न की जाना, उसकी पदोन्नति के लिए निरर्हता के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा.

टिप्पणी.—(1) अनुसूचित क्षेत्र में प्रशिक्षण और परिवीक्षा पर दिताई गई कालावधि को उपर्युक्त खण्ड (3) के प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में माना जाएगा ;

(2) उपर्युक्त खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट की गई शर्तें उन व्यक्तियों की आम की पदोन्नति के मामले में लागू नहीं होंगी जिन्हें उक्त शर्त के प्रवर्तन के पूर्व पदोन्नत किया गया था.

15. उपर्युक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्त को पूरा करते हों तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराए गए हों. यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची उपर्युक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवीक्षित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय सूची में सम्मिलित अधिकारियों के नाम अनुसूची चार के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे :

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में असाधारण रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा.

संश्लोकरण.—ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर, जिन पर पश्चादवर्ती चयन में विचार किया जाता है, वरिष्ठता का दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सेवा के किसी सदस्य को अधिकारीयत किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो समितित प्रस्तावित अभियोजन के संबंध में अपने कारणों को लेशवद्ध करेंगी।

16. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति की, जिसकी अध्यक्षता आयोग के किसी सदस्य द्वारा की गई हो, सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक् परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा।

17. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची चार के कालम (2) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची चार के कालम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता ऐसी सूची तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार तथा आयोग की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में हैं।

परन्तु जहाँ प्रशासकीय अत्यावश्यकता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहाँ उस व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं हो, या जिसका नाम चयन सूची में दिये गए क्रम में ठीक नीचे न हो सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन मास से अधिक समय तक खाली की संभावना नहीं है।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिसमें वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

(3) ऐसे व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, यदि वह विभागीय जांच का सामना कर रहा है या उसके विरुद्ध अभियोजन संस्थित किया जाने वाला है तथा तब पदोन्नति नहीं की जाएगी जब तक कि उसे यथास्थिति उस जांच या अभियोजन में पूर्णतः विमुक्त न कर दिया गया हो।

19. **परिबीक्षा.**—सेवा में सीपी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिबीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

20. **निर्वाचन.**—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति में कार्यवाही करने की जो उसे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निरस्त और व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी तथा इनके प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरस्त नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई करवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई करवाई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. तिवारी, उपसचिव।

अनुसूचा-एक
(नियम 5 देखिए)
ग्राम "क" चिकित्सा

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण/संचालक, चिकित्सा सेवाएं.	2	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा—प्रथम श्रेणी	5100-5700	..
2	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	17	तद्वैव	3200-4500	..
3	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय तथा मलेरिया)/ अधीक्षक, लेडी एलमिन् चिकित्सालय/ अधीक्षक, के. एन. के. चिकित्सालय/ मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी	68	तद्वैव	2750-4325	..
4	कुष्ठ अधिकारी—ग्रेड-एक	9	तद्वैव	2750-4325	..
5	जिला परिवार कल्याण अधिकारी तथा स्वास्थ्य अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक, जे.एस.आर. इटारसी/ प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/ अपर सिविल सर्जन	96	तद्वैव	2650-4200	जिला परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अधिकारी को रु.100 प्रतिमाह विशेष वेतन.
6	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/ निर्देशक, क्षय रोग प्रत्यक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र, गोंडाल.	8	तद्वैव	2650-4200	..
7	विशेषज्ञ	294	तद्वैव	2650-4200	..
8	कुष्ठ अधिकारी—ग्रेड दो/ कुष्ठ अधिकारी (प्रशिक्षण) कुष्ठ अधिकारी (सम्यक् सर्वेक्षण)/ कुष्ठ अधिकारी (महामारी विज्ञान)	17	तद्वैव	2650-4200	..
9	मानसिक चिकित्सक मानसिक चिकित्सालय	2	तद्वैव	2650-4200	..
10	सहायक सर्जन		मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा—द्वितीय श्रेणी		
	(क) प्रवर श्रेणी	1051		2650-4200	इनमें सामान्य कर्तव्य चिकित्स अधिकारी एवं स्प्रेडिंग चिकित्सालयों के सहायक अधीक्षकों के 193 पद सम्मिलित हैं जो सामान्य या प्रवर श्रेणी सहायक सर्जनों के संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा भरे जावेंगे.
	(ख) सामान्य श्रेणी	3155	तद्वैव	1820-3300	..
	(ग) फाईनेरिया चिकित्सा अधिकारी	4	तद्वैव	1820-3300	..
	(घ) महामारी विज्ञानी	4	तद्वैव	1820-3300	..
11	दंत चिकित्सा—विशेषज्ञ	8	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा—प्रथम श्रेणी	2650-4200	..
12	दंत अल्प विभाजनिक	113	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवा—द्वितीय श्रेणी	1820-3300	..

समूह "ख" (चिह्नितसेनर)

क्रमिक	पदा के नाम/पदा का नाम	पदा की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	प्रमाण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरी					
1	संयुक्त संचालक (जनसंपर्क शिक्षा तथा माध्यम)	1	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रथम श्रेणी.	3200—4500	..
2	उप संचालक (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो)	1	तदैव	2650—4200	..
3	प्रदर्शनी अधिकारी (संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक)	59	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— द्वितीय श्रेणी	1820—3300	...
4	प्रचार अधिकारी/ संचालक	2	तदैव	1820—3300	..
5	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (ग.स.स.)/ उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी	92	तदैव	1540—2740	..
16	उप संचालक (आयोजना, मूल्यांकन तथा मास्टर)/ उप संचालक (जनसांख्यिकी)	2	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— प्रथम श्रेणी	2650—4200 3200—4500	..
7	उप संचालक (आपूर्ति)	1	तदैव	2650—4200	..
8	सांख्यिकी अधिकारी	17	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— द्वितीय श्रेणी	1820—3300	..
9	समाज विज्ञानी	2	तदैव	1820—3300	..
10	वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी भण्डार अधिकारी	3	तदैव	1820—3300	..
11	प्रशासनिक अधिकारी	54	तदैव	1820—3300	..
12	प्रबन्ध अनुदेशक	4	तदैव	1820—3300	..
13	सहायक इंजीनियर (परिवहन)/ सहायक इंजीनियर (भण्डार)	8	तदैव	1820—3300	..
14	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	1	तदैव	1540—2740	..
15	उप संचालक (सतर्कता)	1	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— प्रथम श्रेणी	2650—4200	..
16	उप संचालक (विधि)	1	तदैव	2650—4200	..
17	कार्यपालन इंजीनियर (परिवहन)	1	तदैव	2650—4200	..
18	लेखा अधिकारी	1	मध्यप्रदेश लेखा सेवाएं	1820—3300	..
19	स्वच्छता इंजीनियर	4	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— द्वितीय श्रेणी	1820—3300	..
20	जिला मलेरिया अधिकारी/ वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (मलेरिया)/ जीव विज्ञानी/ सहायक (कीट विज्ञानी) मलेरिया (फाईलेरिया)	64	तदैव	1820—3300	..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	कीट विज्ञाना	1	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— प्रथम श्रेणी	2650—4200	..
22	भौतिक चिकित्सा विद	2	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं— द्वितीय श्रेणी	1820—3300	..
23	कोल्ड चैन अधिकारी	1	तद्व	1820—3300	..

समूह "ग" (परिचर्या सेवाएं)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उप संचालक: स्वास्थ्य सेवाएं (उपचर्या).	1	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (उपचर्या सेवाएं)—प्रथम श्रेणी	2650—4200	..
2	प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन.	1	तद्व	2650—4200	..
3	उपचर्या अधीक्षक—ग्रेड एक/ प्राधानाचार्य लोक स्वास्थ्य अभि- विन्यास प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	2	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (उपचर्या सेवाएं)—द्वितीय श्रेणी	1940—3300	..
4	सहायक उपचर्या सलाहकार/ उपचर्या अधीक्षक—ग्रेड 2	9	तद्व	1820—3300	..
5	लोक स्वास्थ्य उपचर्या अधिकारी/ जिला लोक स्वास्थ्य उपचारिका/ लोक स्वास्थ्य उपचारिका/लोक स्वास्थ्य उपचारिका अनुदेशक/ लोक स्वास्थ्य उपचारिका शिक्षक.	92	तद्व	1820—3300	..
6	वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (एम. पी. डब्ल्यू)/प्रधानाचार्य, संप्रवर्तित शाला/प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शालाएं.	37	तद्व	1820—3300	..
7	वरिष्ठ सिस्टर ट्रियूटर	3	तद्व	1820—3300	..
8	जिला उपचर्या पर्यवेक्षक	3	तद्व	1540—2740	..

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिये)
गणित 'क' (चिकित्सा)

अनु क्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भरती व्दारा	पदोन्नति व्दारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानां- तरण व्दारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				प्रतिशत	प्रतिशत		
1	संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण/संचालक, चिकित्सा सेवाएं.	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं.	2	..	100%
2	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	तदैव	17	..	100%
3	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं. (मुख्यालय तथा मलेरिया)/ अधीक्षक, लेडी एलगिन चिकित्सालय, जबलपुर/ अधीक्षक, के. एन. के. चिकि- त्सालय/ मुख्य चिकित्सा तथा स्वा- स्थ्य, अधिकारी.	तदैव	68	25%	75%
4	कुष्ठ अधिकारी-ग्रेड-एक	तदैव	9	..	100%
5	जिला परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक, जे. एस. आर. इटारसी/ प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/ अपर सिविल सर्जन.	तदैव	96	..	100%
6	अधीक्षक, क्षय रोग चिकि- त्सालय/निर्देशक, क्षय रोग प्रत्यक्षण तथा प्रशि- क्षण केन्द्र, भोपाल	तदैव	8	..	100%
7	विशेषज्ञ	तदैव	294	25%	75%
8	कुष्ठ अधिकारी-ग्रेड-दो/ कुष्ठ अधिकारी (प्रशिक्षण)/ कुष्ठ अधिकारी (सम्पल) सर्वेक्षण/ कुष्ठ अधिकारी (महामारी विज्ञान)	तदैव	17	25%	75%
9	मनश्चिकित्सक, मानसिक चिकित्सालय	तदैव	2	50%	50%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	सहायक सर्जन	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं—द्वितीय श्रेणी.					
	(क) सामान्य संवर्ग	तदैव	3155	100%
	(ख) फाईलेरिया चिकित्सा अधिकारी	तदैव	4	100%
	(ग) महामारी विज्ञानी	तदैव	4	100%
11	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं—प्रथम श्रेणी	8	25%	75%
12	दन्त शल्य चिकित्सक	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं—द्वितीय श्रेणी.	113	100%

समूह "ख" (चिकित्सेतर)

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	संयुक्त संचालक (जन-सम्पर्क शिक्षा तथा माध्यम)	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं	1	प्रतिशत ..	प्रतिशत 100%	..	यदि पदोन्नति द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो यह पद प्रकाशन विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकता है.
2	उप संचालक, स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो	तदैव	1	..	100%
3	प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अनुदेशक/सामाजिक विज्ञान अनुदेशक.	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं—द्वितीय श्रेणी.	59	25%	75%
4	प्रचार अधिकारी/संपादक	तदैव	2	..	100%	..	यदि उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद प्रकाशन विभाग से स्थानान्तरण द्वारा भरा जाएगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
5	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) / उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (सामान्य)	तदैव	92	..	100%
6	उप संचालक (आयोजना, मूल्यांकन तथा मॉनिटरिंग) / उप संचालक (जन-सांख्यिकी)	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं प्रथम श्रेणी	2	..	100%
7	उप संचालक (अपूर्ति)	तदैव	1	..	100%
8	सांख्यिकी अधिकारी	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं द्वितीय श्रेणी	17	25	75%
9	समाज विज्ञानी	तदैव	2	..	100%
10	वित्त अधिकारी / लेखाधिकारी/भण्डार अधिकारी.	तदैव	3	..	100%
11	प्रशासनिक अधिकारी	तदैव	54	25%	75%
12	प्रबंध अनुदेशक	तदैव	4	100%
13	सहायक इंजीनियर (परिवहन) / सहायक इंजीनियर (भण्डार)	तदैव	8	..	100%
14	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी	तदैव	1	..	100%
15	उप संचालक (सतर्कता)	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवाएं.	1	100%	गृह / सामान्य प्रशासन विभाग से स्थानांतरण द्वारा.
16	उप संचालक (विधि)	तदैव	1	100%	विधि तथा विधायी कार्य विभाग से स्थानांतरण द्वारा.
17	कार्यपालन इंजीनियर (परिवहन)	तदैव	1	100%	लोक निर्माण विभाग सिंचाई विभाग/मध्य-प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से स्थानांतरण द्वारा तथा जिसके पास यांत्रिकी इंजीनियरिंग में उपाधि या आटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पदोपाधि हो.
18	लेखा अधिकारी	म. प्र. लेखा सेवाएं	1	100%	कोष तथा लेखा संचालनालय से स्थानांतरण द्वारा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	स्वच्छता इंजीनियर ..	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवायें द्वितीय श्रेणी	4	प्रतिशत ..	प्रतिशत ..	प्रतिशत 100	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से स्थानांतरण द्वारा.
20	जिला मलेरिया अधिकारी / वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (मलेरिया) / जेब विज्ञानी / सहायक कोट विज्ञानी (मलेरिया-फाइनेरिया)	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवायें द्वितीय श्रेणी	64	25	75
21	कोट विज्ञानी ..	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवायें प्रथम श्रेणी	1	..	100
22	भौतिक चिकित्सा विद	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सेवायें द्वितीय श्रेणी.	2	..	100
23	कोल्ड चैन अधिकारी ..	तदैव	1	100

समूह "ग" (परिचर्या सेवायें)

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	सेवा का नाम	कर्मस्थ पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्मस्थ पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				प्रतिशत	प्रतिशत		
1	उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें (परिचर्या) ..	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (परिचर्या सेवायें) प्रथम श्रेणी	1	..	100
2	प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन	तदैव	1	..	100
3	परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड-एक/प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र खालियर	म. प्र. लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग (परिचर्या सेवायें) द्वितीय श्रेणी	2	..	100
4	सहायक परिचर्या सलाहकार / परिचर्या अधीक्षक—ग्रेड-2	तदैव	9	..	100
5	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी / जिला लोक स्वास्थ्य परिचारिका / लोक स्वास्थ्य परिचारिका / लोक स्वास्थ्य परिचारिका अनुबेशक / लोक स्वास्थ्य परिचारिका शिक्षक.	तदैव	92	25	75

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					प्रतिशत		
6.	वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (एम. पी. डब्ल्यू.) प्राचार्य प्रोन्नत शाला / प्राचार्य महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला	तदेव	37	..	100
7.	वरिष्ठ सिस्टर शिक्षक (ट्यूटर)	तदेव	3	..	100
8.	जिला परिचर्या पर्यवेक्षक	तदेव	3	..	100

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिये)
समूह "क" (चिकित्सा)

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी/उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, (मुख्यालय तथा मलेरिया)/ अधीक्षक लेडी एलगिन चिकित्सालय और/अधीक्षक के.एन. के. चिकित्सालय	28	40	निदान शास्त्रीय विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि/ बी. एस. एम. तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, चिकित्सा-लयीन प्रशासन में अनुभव रखने वाले को अधिमान दिया जावेगा.	..
2	विशेषज्ञ	28	40	संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि तथा एम. डी./एम. एस. परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 3 वर्ष का अनुभव अथवा पत्रोपाधि परीक्षा (उपाधि/ पत्रोपाधि दोनों ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की होनी चाहिये) उत्तीर्ण करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के साथ 5 वर्ष का अनुभव.	
3	कुष्ठ अधिकारी-ग्रेड दो / कुष्ठ अधिकारी (प्रशिक्षण) कुष्ठ अधिकारी (सम्पल सर्वेक्षण) कुष्ठ अधिकारी (महामारी विज्ञान)	28	40	एम. बी. बी. एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता तथा कुष्ठ रोग के क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव. कुष्ठ रोग के क्षेत्र में स्नातकोत्तर अर्हता को अधिमान दिया जायेगा.	
4	मनश्चिकित्सक, मानसिक चिकित्सालय	28	40	एम. डी. (मनश्चिकित्सा) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम- तुल्य उपाधि तथा एम. डी. उत्तीर्ण होने के पश्चात् 3 वर्ष का अनुभव या डी. पी. एम. के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डी. पी. एम. उत्तीर्ण करने के पश्चात् 5 वर्ष का अनुभव.	
5	सहायक सर्जन (सामान्य ग्रेड) / फाइलरिया चिकित्सा अधिकारी/ महामारी विज्ञानी	21	32	एम. बी. बी. एस. या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समतुल्य अर्हता.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	दंत चिकित्सा विशेषज्ञ	28	40	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव.	..
7	दंतशल्य चिकित्सक	21	32	बी. डी. एस. उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कोई अन्य समतुल्य उपाधि.	..

समूह "ख" चिकित्सेतर

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लेखा अधिकारी (संवर्ग, बाह्य पद)	मध्यप्रदेश लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर.
2	सांख्यिकी अधिकारी	21	30	एम. ए. (सांख्यिकी) अधिमान्यतः पी. एच. डी./ स्वास्थ्य सांख्यिकी में पदोपाधि सहित.	..
3	जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी / स्वास्थ्य, शिक्षा अनुदेशक/ समाज विज्ञान अनुदेशक/संचार अधिकारी/ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी/ प्रदर्शनी अधिकारी.	21	30	समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, भारतीय जनसंख्या संस्थान से स्वास्थ्य शिक्षा में पदोपाधि/ पत्रकारिता में पत्रोपाधि धारी को अधिमान दिया जावेगा.	..
4	प्रशासनिक अधिकारी	25	40	पांच वर्ष के पर्यवेक्षी अनुभव सहित स्नातक तथा लेखा प्रशिक्षित/अधीनस्थ लेखा सेवा (एन. ए. एस.) में अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा.	..
5	प्रबंध अनुदेशक	21	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन /व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि/ अध्यापन तथा पर्यवेक्षी कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जावेगा.	..
6	वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (मलेरिया) / जिला मलेरिया अधिकारी/जीव विज्ञानी/ सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया/फाईलेरिया)	21	30	एम. एस. सी. (कीट विज्ञान) या एम. एस. सी. (प्राणीशास्त्र) एम. एस. सी. (कीट विज्ञान) को अधिमान दिया जाएगा.	..
7	कोल्ड चैन अधिकारी	21	30	मैकेनिकल अथवा रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि एवं 1 वर्ष का कार्यानुभव अथवा रेफ्रिजरेशन एग्रिकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं 6 वर्ष का कार्यानुभव.	..

समूह "ग" (परिचर्या सेवाएं)

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य परिचारिका, लोक स्वास्थ्य परिचारिका/लोक स्वास्थ्य परिचारिका अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य परिचारिका शिक्षक.	28	40	बी. एस. सी. (परिचर्या) अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से लोक स्वास्थ्य परिचर्या का प्रमाण-पत्र / परिचर्या सेवाओं का 10 वर्ष का अनुभव.	..

अनुसूची—चार

(नियम 13 तथा 14 देखिए)

समूह "क" चिकित्सा

क्रमांक उस सेवा या पद का नाम, उस सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है उस पद के लिए जिससे कि विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं	संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण/संचालक, चिकित्सा सेवाएं.	3 वर्ष	<p>1. मुख्य सचिव अध्यक्ष</p> <p>2. शासन का वरिष्ठ सचिव, सदस्य जो मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत किया जावेगा.</p> <p>3. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. सदस्य</p> <p>4. अतिरिक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. संयोजक</p>
2	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय तथा मलेरिया) कुष्ठ अधिकारी—ग्रेड एक अधीनस्थ लेडी एलियन चिकित्सालय, जबलपुर/अधीनस्थ के एन. के. चिकित्सालय, भोपाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं.	3 वर्ष	<p>1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या सदस्य, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग. अध्यक्ष</p> <p>2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. सदस्य</p> <p>3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सदस्य</p> <p>4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं सदस्य</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक, जे. एस. भार. इटारसी/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र/अपर सिविल सर्जन/अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/निर्देशक, क्षय रोग प्रत्यक्ष एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल/मनश्चिकित्सक/विशेषज्ञ.	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (मुख्यालय तथा मलेरिया) अधीक्षक, लेंडी एलिन चिकित्सालय जबलपुर/अधीक्षक, के. एन. के. चिकित्सालय, भोपाल/मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी/इन पदों के पदोन्नति कोटा का 25 प्रतिशत विशेषज्ञ मनश्चिकित्सकों से भरा जाएगा और पदोन्नति का कोटा शेष 75 प्रतिशत कालम 2 के क्रमांक 3 में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों से भरा जावेगा.		
4	कुष्ठ अधिकारी—ग्रेड 2/ कुष्ठ अधिकारी (सेम्पल-सर्वेक्षण)/ महामारी विज्ञानी / कुष्ठ अधिकारी (प्रशिक्षण)	कुष्ठ अधिकारी—ग्रेड एक	3 वर्ष	तदेव
5	सहायक सर्जन	कुष्ठ अधिकारी ग्रेड-2/ कुष्ठ अधिकारी (सेम्पल-सर्वेक्षण)/ महामारी विज्ञानी / कुष्ठ अधिकारी (प्रशिक्षण)	कुष्ठ कार्य में तीन वर्ष का अनुभव.	तदेव,
6	सहायक सर्जन	मनश्चिकित्सक, मानसिक चिकित्सालय.	किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के बाद सहायक सर्जन के रूप में पांच वर्ष का अनुभव, या विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के बाद सहायक सर्जन के रूप 7 वर्ष का अनुभव.	तदेव
7	सहायक सर्जन	अधीक्षक, क्षय रोग चिकित्सालय/संचालक, क्षयरोग प्रत्यक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र.	क्षय रोग में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक सर्जन के रूप में पांच वर्ष या अनुभव या क्षय रोग तथा क्षय रोगों में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक सर्जन के रूप में 7 वर्ष का अनुभव.	तदेव

1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या सदस्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग. अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. सदस्य
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सदस्य
4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8 सहायक सर्जन	जिला परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अधिकारी/अपर सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक, जे. एस. आर. चिकित्सालय, इटारसी/प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र...	10 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग. 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. 3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं	अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य
9 सहायक सर्जन	विशेषज्ञ	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक सर्जन के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर पदोपाधि प्राप्त करने के पश्चात् सहायक सर्जन के रूप में 7 वर्ष का अनुभव.	तदेव.	
10 दंत शल्य चिकित्सक	दंत विशेषज्ञ	स्नातकोत्तर उपाधि (एम. डी. एस.) प्राप्त करने के पश्चात् दंत शल्य चिकित्सक के रूप में 5 वर्ष का अनुभव या दंत शल्य चिकित्सक के रूप में 10 वर्ष का अनुभव.	तदेव.	

समूह "ख" चिकित्सेतर

क्रमांक	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	अनिवार्य अर्हताएं, यदि कोई हों तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	उप संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क शिक्षा तथा माध्यम.	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या सदस्य, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग. 2. प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. 3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं.
2	संचार अधिकारी/प्रदर्शन अधिकारी/जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, उज्जैन/समाज विज्ञान अनुदशक/प्रचार अधिकारी/संपादक.	उपसंचालक, स्वास्थ्य सेवाएं (स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो).	3 वर्ष	तदेव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	उपजिला विस्तार तथा माध्यम शिक्षण अधिकारी/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय).	जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/प्रदर्शनी अधिकारी/स्वास्थ्य प्रदर्शनी अधिकारी/संचार अधिकारी/समाज विज्ञान अनुदेशक.	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग या सदस्य, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग. 2. प्रमुख सचिव/प्रमुख, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. 3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण 4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं
4	उप संपादक/प्रचार सहायक (तृतीय श्रेणी)	प्रचार अधिकारी/संपादक	3 वर्ष	सदस्य तदेव
5	खण्ड विस्तार शिक्षक/स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार अधिकारी.	उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी/उप-जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (समन्वय)/उप जिला विस्तार तथा माध्यम अधिकारी (स्वास्थ्य-शिक्षा).	6 वर्ष	सदस्य तदेव
6	सांख्यिकी अधिकारी ..	उप संचालक (आयोजना, मूल्यांकन तथा मानीटर)/ उप संचालक (जन-सांख्यिकी)	3 वर्ष	तदेव.
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी (तृतीय श्रेणी).	सांख्यिकी अधिकारी ..	5 वर्ष	तदेव
8	चिकित्सा-सामाजिक कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी).	समाज विज्ञानी ..	5 वर्ष	तदेव
9	भण्डार निरीक्षण अधिकारी/अधीक्षक/कनिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय/सहायक अधीक्षक/कनिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय/वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) प्रबन्धक, चिकित्सा भंडार (तृतीय श्रेणी).	प्रशासनिक अधिकारी/वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी भंडार अधिकारी.	भण्डार निरीक्षण अधिकारी/अधीक्षक/कनिष्ठ लेखा अधिकारी / वरिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय)/वरिष्ठ लेखापाल (संचालनालय) के पद पर 3 वर्ष का अनुभव तथा सहायक अधीक्षक/कनिष्ठ संपरीक्षक (संचालनालय)/ वरिष्ठ संपरीक्षक (संभागीय) के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव.	तदेव
10	सब इंजीनियर (यांत्रिकी) (तृतीय श्रेणी).	सहायक इंजीनियर (परिवहन) सहायक इंजीनियर (गण्डार)	5 वर्ष	तदेव
11	सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (तृतीय श्रेणी).	वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी उज्जैन.	3 वर्ष	तदेव
12	सहायक मलेरिया अधिकारी (तृतीय श्रेणी).	वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (मलेरिया)/जिला अधिकारी/सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया / फाइलरिया) जीव विज्ञानी	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या सदस्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग. सेवा आयोग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				2. प्रमुखसचिव/सचिव, लोकस्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग. सदस्य
				3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सदस्य
				4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं. सदस्य
13	भौतिक चिकित्सा तकनीशियन (तृतीय श्रेणी)	भौतिक चिकित्सा विद	5 वर्ष	तदेव.
14	जिला मलेरिया अधिकारी/जीव विज्ञानी / सहायक कीट विज्ञानी (मलेरिया / जफाइलेरिया) / वॉरंट प्रशिक्षण अधिकारी (मलेरिया)	कीट विज्ञानी	5 वर्ष	तदेव.
15	वित्त अधिकारी / लेखाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी / भण्डार अधिकारी.	उप संचालक (पूति)	3 वर्ष	तदेव.

समूह 'ग' परिचर्या

क्र.सं.	उस सेवा या पद का नाम जिससे कि पदोन्नति की जाना है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है.	अनिवार्य अर्हताएं यदि कोई हो, तथा अन्य अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-एक। प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र, ग्वालियर.	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं (परिचर्या) प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन.	उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं परिचर्या के पद के लिये कालम नं. 2 में दर्शाए गए किसी भी पद पर पांच वर्ष का अनुभव.	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोकअध्यक्ष सेवा आयोग या मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, सदस्य
			प्राचार्य, क्षेत्रीय लोक स्वास्थ्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, उज्जैन के पद के लिये उसी के अतिरिक्त बी.एस.सी. (परिचर्या) अनिवार्य है परिचर्या में स्नातकोत्तर को अधिमान दिया जावेगा.	2. प्रमुखसचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग सदस्य
				3. संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सदस्य
				4. संचालक, चिकित्सा सेवाएं. सदस्य
2	वरिष्ठसिस्टर ट्यूटर/परिचर्या अधीक्षक-ग्रेड 2। लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य परिचारिका. अनुदेशक। लोक स्वास्थ्य परिचारिकाशिक्षक / वरिष्ठप्रशिक्षण अधिकारी (एम.पी. डब्ल्यू.)	परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-एक। प्राचार्य लोक स्वास्थ्य, अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर.	प्राचार्य, लोक स्वास्थ्य अभिसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र हेतु बी. एस.सी. परिचर्या तथा 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव. अन्य पद हेतु केवल 5 वर्ष अनुभव.	तदेव तदेव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

प्राचार्य, प्रोन्नत शाला/
प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य,
कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला/
सहायक परिचर्या
सलाहकार.

- | | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 3 | जिला परिचर्या पर्यवेक्षक/मैट्रन तृतीय श्रेणी. | परिचर्या अधीक्षक ग्रेड-दो सहायक परिचर्या सलाहकार. | जिला परिचर्या पर्यवेक्षक के लिये तीन वर्ष का अनुभव तथा मैट्रन-तृतीय श्रेणी के लिये 5 वर्ष का अनुभव. | 1 अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या सदस्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
2 प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग
3 संचालक, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
4 संचालक, चिकित्सा सेवाएँ. |
| 4 | लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर) सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी) | लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य परिचारिका/लोक स्वास्थ्य परिचारिका अनुदेशक/लोक स्वास्थ्य परिचारिका शिक्षक. | 5 वर्ष का अनुभव केवल वे लोक स्वास्थ्य शिक्षक (ट्यूटर)/सिस्टर ट्यूटर प्राप्त होंगी जो बी. एस. सी. परिचर्या उपाधि या लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षा या परिचर्या में पत्रोपाधि धारण करते हों. | तदेव |
| 5 | सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी) | वरिष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी (एम.पी.डब्ल्यू.)/प्राचार्य, प्रोन्नत शाला, जबलपुर/प्राचार्य, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण शाला. | 5 वर्ष का अनुभव, केवल वे ही सिस्टर (ट्यूटर) प्राप्त होंगी जो बी. एस. सी. परिचर्या उपाधि या लोक स्वास्थ्य या परिचर्या शिक्षक या परिचर्या प्रशासन में पत्रोपाधि धारण करती हों. | तदेव |
| 6 | सिस्टर ट्यूटर (तृतीय श्रेणी) | वरिष्ठ सिस्टर ट्यूटर (सामान्य परिचर्या प्रशिक्षण कन्द्र) | 5 वर्ष | तदेव |
| 7 | मैट्रन (तृतीय श्रेणी) | जिला परिचर्या पर्यवेक्षक | 5 वर्ष | तदेव |